मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.1.2011 से 31.12.2012

भाग—एक

1 प्रारम्भिकः—

(i) मन्दिर न्यास माता श्री ज्वालामुखी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अवधि 1/2011 से 12/2012 के लेखाओं का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3—3/85—पार्ट—II दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया।

(ii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0 सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	राशि लाखों में (₹)
1	10	वर्ष 2011 के दौरान बारीदारों को अधिक एवं गलत भुगतान	58.09
2	11	मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की बारीदार श्रीमती बेबी देवी को बारीदार हिस्से के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान	0.44
3	12	मातृ छाया यात्री निवास श्री ज्वालामुखी के ठेकेदार श्री अरूण लाल टण्डन के आश्रितों से लीज की राशि, बिजली के बिलों की राशि तथा कम सामान वापिस दिए जाने से सम्बन्धित राशि की वसूली न करना	6.36
4	13	मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की सीढियों के पास निर्मित शौचालयों एवं स्नानागृह का ठेका मैसर्ज जय मां इन्टरप्राईजिज चिन्तपूर्णी को बिना फीस/शुल्क के देने के कारण मन्दिर को हुई वित्तीय हानि	1.88
6	14	मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा मन्दिर बोर्ड के द्वार नम्बर—3 व मुख्य मन्दिर के द्वार के पास शौचालयों व स्नानागारों के संचालन	38.45

		का ठेका सुलभ अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संस्था को निशुल्क दिए जाने के बावजूद भी प्राकलन के आधार पर भुगतान करना	
7	17	बिना टैण्डर बुलाए लंगर का अवधि 1.3.10 से 30.9.12 का ठेका पुरानी दरों पर तथा अवधि 1.10.12 से आगामी 2 वर्षों हेतु 10% वृद्धि के साथ पुराने संविदाकार को देने के कारण मन्दिर न्यास की हुई वास्तविक हानि तथा भविष्य में होने वाली सम्भावित वित्तीय हानि	12.94
8	19	तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को व स्थाई वेतन पर नियुक्त बेलदार कर्मचारियो को नियमों के विपरीत वर्दी भत्ता प्रदान करने के कारण मन्दिर न्यास कोष पर अतिरिक्त बोझ डालना	0.61
9	20	श्री विवेक सूद, कनिष्ठ अभियन्ता को वेतन एवं भत्तों के रूप में वर्ष 2008 से वर्ष 2010 के दोरान किए गए अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली	0.59
10	22	श्री नरेश कुमार, वरिष्ठ लिपिक को अनियमित रूप से वार्षिक वेतन वृद्धियॉ प्रदान करने के कारण उनको वेतन एवं भत्त्तों के रूप में गलत एवं अधिक भुगतान करना	0.29
11	23	वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान	0.43
12	24	श्री राजन बासुदेव, सहायक अभियन्ता के आश्रितों को अर्जित अवकाया के एवज में अधिक एवं गलत भुगतान	0.15
13	28	कॉमन पूल को अनियमित रूप से हस्तांतरित की गई राशि बारे	5.00
14	31	टैण्डर में भरे गए रेट में कटिंग/टैम्परिंग करके प्रथम न्यूनतम दर भरने वाली फर्म के स्थान पर द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाली फर्म को कार्य आंबटित करना तथा तदानुसार मैसर्ज विश्वकर्मा ग्रामोद्योग धर्मशाला को अधिक भुगतान करना	1.33
15	32	विभिन्न पत्रिकाओं में विज्ञापन देने हेतु व्यय करना	6.61
16	33	मन्दिर न्यास द्वारा मिठाईयों की खरीद पर अनियमित व्यय करना तथा खरीदी गई मिठाईयों की भण्डार प्रविष्टी न करना एवं वितरण	0.59

से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना

(iii) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनः—

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु वांछित कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपत्तियों से सम्बन्धित पैरों के अतिरिक्त अन्य पैरों का भी कई वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी समायोजन/निपटारा सम्भव नहीं हो सका है। इस प्रकार अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई विभिन्न प्रकार आपत्तियॉ और विशेषकर अत्यन्त गम्भीर आपत्तियों के निरस्तीकरण हेतु मन्दिर न्यास द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई न करना स्वतः ही चिन्ताजनक है। इस सन्दर्भ में आयुक्त (मन्दिर) एवम् जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला की अध्यक्षता में दिनांक 18.6.2010 की बैंठक की प्रोसीडिंग की मद सं0 3 के अन्तर्गत मन्दिर अधिकारी ज्वालाजी को एक मास के अन्दर अनिर्णीत आपत्तियों के निपटारे हेतु उचित कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए थे लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा इस प्रकरण में अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। अतः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ यह प्रकरण पुनः इस आशय से लाया जाता है कि मन्दिर न्यास के अधिकारियों कों गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के पैरों और विशेषकर अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपत्तियों से सम्बन्धित पैरों के निपटारे हेतु समयबद्ध ढ़ंग से अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु पुनः उचित निर्देश देने की अनुकम्पा करें ताकि गत कई वर्षों से अनिर्णीत पड़े अनुच्छेदों का समायोजन सम्भव हो सके अन्यथा अंकेक्षण का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति परिशिष्ट "A" पर दी गई है।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के अवधि 1.1.2011 से 31.12.2012 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण, श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल असिस्टैंट द्वारा दिनांक 27.5.13 से 17.8.13 के दौरान ज्वालामुखी में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है। विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया है।

आयः— 4/11 व 4/12

व्ययः— 7/11 व 3/12

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के नियन्त्रण अधिकारी/मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं जांच हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3 **अंकेक्षण शुल्कः—**

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के अवधि 1.1.2011 से 31.12.2012 के वर्तमान लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹69700/—बनता है जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 के नाम भेजने हेतु मन्दिर अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 139 दिनांक 16.8.13 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थितिः—**

(क) मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा प्रस्तुत न्यास की अवधि 1.1.2011 से 31.12.2012 की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः—

	वर्ष 2011	**वर्ष 2012**
आरम्भिक शेष	86459135.61	102737606.00
वर्ष के दौरान प्राप्त आय	64420045.00	89121020.00
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	2894959.00	10196285.55
कुल योगः	**153774139.61**	**202054911.55**
वर्ष के दौरान किये गये व्यय की कुल राशि	51036534.00	68060019.00
दिनांक 31.12.11 को अन्तिम शेष	**102737605.61**	**133994892.55**

(ख) अन्तिम शेष का विवरण/समाधान निम्न प्रकार से हैः—

(i) बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 31.12.2012 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों मे ंजमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**बैंक खाता संख्या**	**जमा राशि (₹)**

1	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	11633	607775.64
2	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	19947	560228.72
3	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	16388	111013.27
4	सी0बी0आई0 ज्वालामुखी	2206610544	193440.00
5	एस0बी0आई0 ज्वालामुखी	10551097078	412231.00
6	एच0डी0एफ0सी0	06051450000059	118289.92
		कुल योग	**2002978.55**

(ii) सावधि जमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.12.12 तक **परिशिष्ट "क"** पर दिए गए विवरणानुसार ₹132305428/– निवेश की गई थी, जिन्हें परिपक्वता पर पुनर्निवेश करना व प्राप्त ब्याज को समय–2 पर रोकड़ वही में लेखांकन सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त **(i)** व **(ii)** का कुल योग (2002978.55+132305428)	134308406.55
रोकड़ वही के अनुसार अन्तिम शेष	133994892.55
अन्तर	**313514.00**

(ग) अन्तर का कारणः–

उपरोक्त वर्णित ₹313514/–के अन्तर का विस्तृत विवरण बैंक समाधान विवरणिका सहित निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**बैंक खाता सं0**	**बैंक का नाम**	**रोकड़ वही के अनुसार अन्तिम शेष**	**बैंक पास बुक के अनुसार अन्तिम शेष**	**अन्तर**
1	11633	पी0एन0बी0		607775.64	
2	19947	पी0एन0बी0		560228.72	
3	16388	पी0एन0बी0		111013.27	

		योग	**1158354.63**	**1279017.63**	**120663**
4	2206610544	एस0वी0आई0	589.00	193440.00	192851
5	10551097078	एस0वी0आई0	412231.00	412231.00	—
6	060510000059	एच0डी0एफ0सी0	118289.92	118289.92	—
		कुल योग	**1689464.55**	**2002978.55**	**313514**

(ङ) बैंक समाधान विवरणिकाः—

(i)	**पी0एन0बी0 ज्वालामुखी**	1158354.63
	रोकड़ वही के अनुसार पी0एन0बी0 का शेष	
	जमाः— चैक जो 31.12.12 तक जारी किए गए लेकिन 31.12.12 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए है (**परिशिष्ट—"ख"**)	(+) 499252.00
	दिनांक 11.5.12 व 16.5.12 को बैंक में अधिक जमा राशि (₹100 व ₹151)	(+) 251.00
	माईनसः— दिनांक 31.12.12 को बैंक में जमा करवाई गई राशि जिसका दिनांक 31.12.12 तक बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया	(—) 378840.00
	बैंक पास बुक के अनुसार शेष	**1279017.63**
(ii)	**एस0बी0आई0 ज्वालामुखी**	589.00
	रोकड़ वही के अनुसार एस0वी0आई0 का शेष	
	जमाः— चैक जो 31.12.12 तक जारी किए गए लेकिन 31.12.12 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए है।	(+) 192851.00

(परिशिष्ट–"ग")

बैंक पास बुक के अनुसार शेष **193440.00**

5 आय तथा व्यय का वित्तीय विश्लेषणः–

(क) मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी कीं वर्ष 2011 व वर्ष 2012 की आय व व्यय का वित्तीय विश्लेषण निम्न प्रकार से हैः'–

वर्ष	आय	वृद्धि या कमी की प्रतिशतता	व्यय	वृद्धि या कमी की प्रतिशतता	टिप्पणी
2011	67315004	(+ 12.13%)	51036534	(+22.45%)	(वर्ष 2010 में आय ₹60028292/– तथा व्यय ₹41677584/– था)
2012	99317305	(+47.54%)	68060019	(+33.35%)	

(ख) स्थापना व्ययः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में एक अधिकारी व दो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत्त है। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास में कुल 85 कर्मचारी है जिनमें से 74 कर्मचारी नियमित वेतन पर, 10 नियत वेतन पर तथा 1 मस्ट्रोल पर कार्यरत्त है। इसके अतिरिक्त मन्दिर में 8 गृह रक्षक व 7 सुरक्षा गार्ड भी कार्यरत्त हैं। उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारियों पर वर्ष 2011 में वेतन के रूप में ₹14457120/– खर्च किए गए है जोकि वर्ष 2011 की कुल आय का 21.47**%** है तथा वर्ष 2012 में वेतन के रूप में ₹22223946/– खर्च किए गए जो वर्ष 2012 की कुल आय का 22.37**%** है। इसके अतिरिक्त वर्ष में लगने वाले नवरात्रों के मेलों के दौरान लगभग 60 सफाई कर्मचारी 50 अस्थाई कर्मचारी तथा लगभग 60 से 100 तक गृह रक्षक भी अलग से नियुक्त किए जाते है जिसके लिए अलग से व्यय किया जाता है।

6 सोना एवं चांदीः–

वर्ष 2011 तथा वर्ष 2012 में सोने की स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

(क) सोनाः–

	किलो	ग्राम	मिली ग्राम
आरम्भिक शेष (1.01.11)	31	656	699
वर्ष 2011 के दौरान प्राप्ति	03	122	400
वर्ष 2012 के दौरान प्राप्ति	00	921	200
कुल योग	**35**	**700**	**299**
स्टॉक रजिस्टर के अनुसार मात्रा	35	307	299
अन्तर (–)	**00**	**393**	**000**

(i) अन्तर का कारणः– वर्ष 2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (ख) के अन्तर्गत उपरोक्त अन्तर का कारण दर्शाया गया है जिसका मन्दिर न्यास द्वारा अभी तक निपटारा नहीं किया गया है। अतः इस विसंगति का तुरन्त निपटारा किया जाना अपेक्षित है। यह मामला मन्दिर न्यास में प्राधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ यथोचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है ताकि समय रहते इसका समाधान सम्भव हो सके।

(ii) 53 ग्राम सोने की मात्रा को सोने के रजिस्टर के स्थान पर चांदी के रजिस्टर में दर्ज करने बारेः–

गल्ला रजिस्टर के अनुसार प्राप्त सोना की जांच करने पर पाया गया कि गल्ला रजिस्टर के पेज संख्या 128 पर दिनांक 23.9.12 को 53 ग्राम सोना प्राप्त किया गया दर्शाया गया है लेकिन उक्त 53 ग्राम सोने की मात्रा को सोने के रजिस्टर में दर्ज न करके चांदी

के रजिस्टर के पेज संख्या 39 दिनांक 23.9.12 पर दर्ज किया गया है। उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 136 दिनांक 13.8.13 के अन्तर्गत मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया लेकिन मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। अतः इस प्रकरण की न्यास स्त्तर पर जॉच करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा तदानुसार उक्त 53 ग्राम सोने की मात्रा को चांदी रजिस्टर के स्थान पर सेाने के रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से भी इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) न्यास द्वारा प्राप्त सोने की मात्रा में से 5 ग्राम सोने की मात्रा को सोने के रजिस्टर में कम दर्ज करने बारेः–

गल्ला रजिस्टर के पेज संख्या 69 पर दिनांक 23.7.11 को 1 ग्राम 600 मिली ग्राम, 4 ग्राम व 2 ग्राम 400 मिली ग्राम अर्थात कुल 8 ग्राम सोना प्राप्त किया गया दर्शाया है लेकिन उक्त 8 ग्राम सोने में से केवल 4 ग्राम सोना ही सम्बन्धित सोने के रजिस्टर के पेज संख्या 009 दिनांक 23.7.11 पर दर्ज किया गया है तथा इस प्रकार 4 ग्राम सोने की मात्रा को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सोने के रजिस्टर में कम दर्ज किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त गल्ला रजिस्टर के पेज संख्या 161 पर दिनांक 8.10.2012 को 1 ग्राम सोना प्राप्त किया गया दर्शाया गया है लेकिन उक्त सोने की मात्रा को सोने के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त 4 ग्राम कम दर्ज किए सोने की मात्रा तथा 1 ग्राम दर्ज न किए गए सोने की मात्रा अर्थात कुल 5 ग्राम कम दर्ज किए गए सोने की मात्रा के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए अनुभाग अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 137 दिनांक 13.8.13 को जारी की गई परन्तु मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। अतः उक्त वर्णित विवरण के अनुसार 5 ग्राम सोने की मात्रा को सोने के रजिस्टर में दर्ज करके अथवा इनकी प्रचलित बाजारीय मूल्य के अनुसार इसकी वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) चांदी

	किलो	ग्राम	मिली ग्राम
आरम्भिक शेष (1.01.11)	1290	582	850
वर्ष, 2011 के दौरान प्राप्ति	043	003	400
वर्ष, 2012 के दौरान प्राप्ति	050	189	000
कुल योग	**1383**	**775**	**250**
मुख्य स्टॉक रजिस्टर के अनुसार चांदी की मात्रा	215	971	600
सम्पत्ति स्टॉक रजिस्टर–II के अनुसार चांदी की मात्रा	1010	808	000
कुल योग	**1226**	**779**	**600**
अन्तर	**156**	**995**	**650**

(i) अन्तर का कारणः– अन्तर का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

	किलो	ग्राम	मिलीग्राम
दिनांक 31.8.13 को चांदी पिघलाने के कारण खोट के रूप में 2 किलो 046 ग्राम 650 मिली ग्राम दर्शाई गई चांदी को स्टॉक में खारिज करने के कारण यह अन्तर है। इस सन्दर्भ में उठाई गई आपत्ति का अविलम्ब निपटारा किया जाए।	002	046	650
दिनांक 26.2.09, 27.2.09 व 7.3.09 को चांदी पिघलाने	154	949	000

व शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान खोट के रूप में नष्ट दर्शाई गई चांदी को स्टॉक से खारिज किया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2009 के पैरा संख्या 10 मे उठाई गई थी। अतः आपत्ति का अविलम्ब निपटारा किया जाना अपेक्षित है।

कुल योग	**156**	**995**	**650**

नोटः– दिनांक 23.8.11 को कोर्ट केस से प्राप्त चांदी के छत्र का वजन 950 ग्राम होने के कारण व सम्पत्ति–II रजिस्टर में पूर्व में 750 ग्राम दर्ज होने के कारण कम दर्ज मात्रा को आरम्भिक शेष में जोड़ा गया है तथा सम्पत्ति–II रजिस्टर में मन्दिर न्यास संशोधन कर दिया गया है।

(ii) मन्दिर न्यास द्वारा रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त की गई चांदी की मात्रा में से 11 ग्राम चांदी की मात्रा चांदी के रजिस्टर में कम दर्ज करने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त चांदी की जांच करने पर पाया गया कि रसीद संख्या 016490 दिनांक 27.4.12 के अन्तर्गत 55 ग्राम चांदी का छत्र प्राप्त किया गया दर्शाया गया है लेकिन उक्त 55 ग्राम चांदी चांदी में से चांदी के रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 28 पर केवल 44 ग्राम चांदी की मात्रा को ही दर्ज किया गया है फलस्वरूप 11 ग्राम (55–44) चांदी की मात्रा को कम दर्ज किया गया है। उक्त कम दर्ज की गई चांदी की मात्रा के बारे अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 137 दिनांक 13.8.13 के अन्तर्गत मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया लेकिन मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। अतः कम दर्ज की गई 11 ग्राम चांदी की मात्रा को चांदी के रजिस्टर में दर्ज किया जाए अथवा प्रचलित बाजारीय मूल्य के अनुसार इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से वसूली करने के उपरान्त यह राशि मन्दिर कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 मन्दिर न्यास की आय में से ₹27941/– को कम जमा करवाया जानाः–

मन्दिर न्यास की आय की जांच करने पर पाया गया कि न्यास के कर्मचारियों द्वारा निम्नविवरणानुसार आय में से ₹27941/– कम जमा जमा करवाई गई थी।

(क) मन्दिर न्यास द्वारा जारी की गई रसीदों से प्राप्त आय में से ₹13230/– कम जमा करवाए जाने बारेः–

आय हेतु काटी रसीदों में से वर्ष 2011 व वर्ष 2012 के दौरान रसीदों से प्राप्त वास्तविक आय से निम्नविवरणानुसार ₹13230/– कम जमा करवाई गई थी।

(i) वास्तविक योग से कम योग दर्शाकर ₹5700/– कम जमा करवाने बारेः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	दिनांक	रसीद रजिस्टर पेज नं0	वास्तविक योग	दर्शाया गया योग	कम दर्शाया गया योग
1	श्री अवतार सिंह	27.3.11	178	12540	12440	100
2	श्री अवतार सिंह	26.6.11	22	7900	7800	100
3	श्री अवतार सिंह	24.3.12	119	10690	9690	1000
4	श्री अवतार सिंह	30.3.12	124	13680	12780	900
5	श्री राजेन्द्र सिंह	30.9.11	54	17070	16970	100
6	श्री राजेन्द्र सिंह	23.3.12	118	14120	13120	1000
7	श्री राजेन्द्र सिंह	20.10.12	189	40180	40080	100
8	श्री अशोक कुमार	26.11.11	43	3040	2840	200
9	श्रीमती राणो देवी	3.6.12	46	13550	11550	2000
10	श्रीमती राणो देवी	29.10.12	95	13620	13520	100
11	श्रीमती राणो देवी	12.11.12	100	5650	5550	100

योग 5700

(ii) रजिस्टर में रसीदें दर्ज न करने के परिणामस्वरूप ₹3130/– कम जमा करवाने बारेः–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	रजिस्टर पेज नं0	दिनांक	दर्ज न की गई रसीद सं0	रसीदोंकी सं0	प्रति रसीद मूल्य	राशि
1	श्री अवतार सिंह	159	10.2.11	71567 से 71569	3	100	300
2	श्री अवतार सिंह	25	4.7.11	78990	1	100	100
3	श्री अवतार सिंह	7	20.5.11	025681	1	10	10
4	श्री अवतार सिंह	10	30.5.11	025505	1	10	10
5	श्री अवतार सिंह	191	18.4.11	24971 से 25000	30	10	300
6	श्री राजेन्द्र कुमार	180	30.3.11	0075115	1	50	50
7	श्री राजेन्द्र कुमार	163	19.2.11	0021020	1	10	10
8	श्री राजेन्द्र कुमार	188	21.10.12	101101 से 101119	19	50	950
9	श्री राजेन्द्र कुमार	196	13.11.12	022558	1	20	20
10	श्री राज बहादुर	33	1.8.11	0026165	1	500	500

11	श्री अशोक कुमार	13	16.2.12	28316	1	500	500
12	श्री कमल कुमार	148	31.1.11	11091 से 11100	10	20	200
13	श्री अशोक कुमार	182	8.6.11	14124 से 14128	5	20	100
14	श्री दिनेशक कुमार	20	3.9.11	31649	1	10	10
15	श्रीमती राणो देवी	89	12.10.12	44326	1	10	10
16	श्रीमती राणो देवी	116	20.12.12	52051 से 52065	6	10	60
						योग	**3130**

(iii) वास्तविक रसीदों से कम रसीदें दर्ज करके ₹4340/– कम जमा करवाने बारेः–

क्र0 सं0	**कर्मचारी का नाम**	**रजिस्टर पेज नं0**	**दिनांक**	**रसीद सं0**	**कुल रसीदें**	**दर्ज की गई रसीदें**	**कम दर्ज की गई रसीदें**	**प्रति रसीद मूल्य**	**राशि**
1	श्री अवतार सिंह	153	18.1.11	70415 से 70426	12	11	1	100	100
2	श्री अवतार सिंह	22	25.6.11	78882 से 78892	11	10	1	100	100
3	श्री अवतार सिंह	95	18.1.12	33782 से 33784	3	2	1	10	10

4	श्री अवतार सिंह	113	11.3.12	33814 से 33836	23	22	1	10	10
5	श्री अवतार सिंह	154	5.6.12	94169 से 94171	3	2	1	50	50
6	श्री अवतार सिंह	186	11.4.11	76636 से 76700	65	45	20	50	1000
7	श्री राजेन्द्र सिंह	164	22.2.11	73868 से 73891	24	23	1	50	50
8	श्री राजेन्द्र सिंह	190	17.4.11	25106 से 25118	13	3	10	10	100
9	श्री राजेन्द्र सिंह	40	14.8.11	26359 से 26387	29	28	1	500	500
10	श्री राजेन्द्र सिंह	60	10.10.11	83434 से 83500	67	66	1	100	100
11	श्री राजेन्द्र सिंह	16	11.6.11	78778 से 78792	15	10	5	50	250
12	श्री राजेन्द्र सिंह	66	27.10.11	85047 से 85090	44	43	1	50	50
13	श्री राजेन्द्र सिंह	98	27.1.12	88653 से 88675	23	22	1	100	100
14	श्री राजेन्द्र सिंह	98	29.1.12	86163 से 86168	6	4	2	100	200
15	श्री राजेन्द्र सिंह	117	21.3.12	89186 से 89188	3	2	1	50	50
16	श्री राजेन्द्र सिंह	118	23.3.12	17221 से 17227	7	2	5	20	100
17	श्री राजेन्द्र सिंह	130	9.4.12	91284 से 91300	17	13	4	50	200
18	राजेन्द्र कुमार	101	8.2.12	35060 से 35065	6	5	1	10	10
19	राजेन्द्र कुमार	154	7.6.12	94169 से 94171	3	2	1	50	50
20	राजेन्द्र कुमार	192	27.10.12	10825 से 10846	22	12	10	1	10
21	राज बहादुर	54	30.9.11	30252 से 30261	10	1	9	10	90
22	दिनेश कुमार	37	9.5.12	95915 से 95951	37	36	1	11	100
23	दिनेश कुमार	25	23.7.12	38307 से 38363	57	55	2	10	20
24	अशोक कुमार	31	13.10.11	84906 से 84920	15	14	1	50	50
25	राणो देवी	61	13.7.12	99479 से 99500	22	21	1	100	100

26	राणो देवी	68	3.8.12	100383से 100394	12	11	1	100	100
27	राणो देवी	45	30.5.12	94625 से 94659	35	34	1	50	50
28	राणो देवी	62	16.7.12	96764 से 96786	23	22	1	50	50
29	राणो देवी	74	22.8.12	98172 से 98196	25	24	1	50	50
30	राणो देवी	112	16.12.12	102039से 102053	15	14	1	50	50
31	राणो देवी	111	15.12.12	23635 से 23646	12	11	1	20	20
32	राणो देवी	45	30.5.12	41407 से 41431	25	24	1	10	10
33	राणो देवी	72	16.8.12	47463से 47498	36	35	1	10	10
34	राणो देवी	80	12.9.12	49284 से 49300	17	16	1	10	10
35	राणो देवी	52	20.6.12	42725 से 42779	55	—	55	10	550
36	राणो देवी	97	3.1.12	50684 से 50700	17	13	4	10	40
								योग	**4340**

(iv) श्री अवतार सिंह द्वारा माह 4/11 के दौरान रसीद संख्या 77662 से रसीद संख्या 77700 तक की 39 रसीदों की प्रति रसीद ₹50 की जगह प्रति रसीद ₹10 की दर से वसूली गई। इस प्रकार उनके द्वारा ₹1950/– (39X50) के स्थान पर ₹390/– (39X10) ही सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज करके ₹1560/– (₹1950–₹390) कम जमा करवाई गई।

उपरोक्त क्रम संख्या (i) से (iv) में दिए गए विवरणानुसार मन्दिर न्यास के कर्मचारियों द्वारा कुल ₹14730/– (₹5700+₹3130+₹4340+₹1560) कम जमा करवाई गई जबकि दिनांक 25.3.12 को रसीद संख्या 0029366 से 0029368 की 3 रसीदों के अन्तर्गत ₹500 प्रति रसीद की दर से ₹1500 अधिक जमा करवाई गई। इस प्रकार न्यास के कर्मचारियों द्वारा वास्तव में ₹14730–₹1500=₹13230/– जमा करवाई गई थी तथा उक्त कम जमा करवाई गई ₹13230/– को अंकेक्षण के दौरान ही मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया जिस पर मन्दिर अधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त राशि की वसूली

सम्बन्धित कर्मचारियों से करने उपरान्त रसीद संख्या 0019208 दिनांक 23.7.13 द्वारा ₹2200, रसीद संख्या 0019209 दिनांक 23.7.13 द्वारा ₹2790, रसीद संख्या 0019225 दिनांक 29.7.13 द्वारा ₹590, रसीद संख्या 0019271, 0019272 दिनांक 6.8.13 द्वारा क्रमशः ₹3280 व ₹30, रसीद संख्या 0019279 दिनांक 8.8.13 द्वारा ₹1180, रसीद संख्या 0018988 दिनांक 27.6.13 द्वारा ₹300 तथा रसीद संख्या 0018989 दिनांक 27.6.13 द्वारा ₹2860 अर्थात कुल ₹13230/– मन्दिर कोष में जमा करवा दी गई है व राशि जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई।

(ख) नोटों तथा सिक्कों के रूप में प्राप्त राशि में से ₹8002/– कम जमा करवाने बारेः–

गल्ला रजिस्टर के अनुसार मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2011 व वर्ष 2012 के दौरान नोटों व सिक्कों के रूप में प्राप्त की गई राशि में से निम्नविवरणानुसार ₹5211 + ₹2531 +₹200+₹60=₹8002 कम करवाई गई।

(i) गल्ला रजिस्टर में वास्तविक योग से कम राशि दर्शाकर ₹5211/– कम जमा करवाने बारेः–

क्र0सं0	दिनांक	गल्ला रजिस्टर पेज नं0	वास्तविक योग	दर्शाया गया योग	कम दर्शाई गई राशि (₹)
1	12.1.11	18	72300	71800	500
2	2.8.11	83	151220	151190	30
3	18.9.11	152	5590	5580	10
4	12.12.11	70	7438	7388	50

5	12.1.12	10	65056	64986	70
6	24.1.12	12	1763	1662	101
7	10.3.12	62	7336	6336	1000
8	16.4.12	11	46930	45930	1000
9	7.5.12	55	376200	375200	1000
10	14.7.12	193	5536	4536	1000
11	2.9.12	87	7928	7828	100
12	25.10.12	196	6740	6440	300
13	11.11.12	12	5498	5448	50
				योग	**5211**

(ii) गल्ला रजिस्टर में प्राप्त राशि से डे–बुक में कम राशि दर्ज करके ₹2531/– कम जमा करवाने बारेः–

क्र0सं0	गल्ला रजिस्टर पेज नं0	दिनांक	गल्ला रजिस्टर के अनुसार प्राप्त राशि	डे–बुक पेज नं0	दर्ज की गई राशि	कम दर्ज गई राशि
1	142	14.9.11	21532	169	21332	200
2	4	12.10.11	6388	13	5172	1216
3	15	17.4.12	52930	96	52925	5
4	131	13.6.12	9390	50	9380	10
5	60	20.8.12	11766	20	10766	1000
6	38	7.12.12	2910	36	2810	100

योग	2531

(iii) इसके अतिरिक्त फटे पुराने नोट दिनांक 17.4.12 को गल्ला रजिस्टर पृष्ठ संख्या 15 पर ₹100/– तथा पृष्ठ संख्या 16 पर ₹100 अर्थात कुल योग ₹200 प्राप्त की गई दर्शाई गई है लेकिन उक्त राशि को डे–बुक में दर्ज न करके यह राशि कम जमा करवाई गई है।

(iv) उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 18.4.12 को गल्ला रजिस्टर के पेज नम्बर 17 पर फटे पुराने नोटों के रूप में प्राप्त की गई ₹300/– में से केवल ₹240/– ही डे–बुक में दर्ज की गई। इस प्रकार शेष ₹60/– कम दर्ज पाई गई है तथा यह राशि कम जमा करवाई गई है।

उपरोक्त क्रम संख्या (i) से (iv) के अन्तर्गत कम जमा की गई ₹5211+₹2531+₹200+₹60=₹8002 के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 109 दिनांक 19.6.13 जारी करके इसे मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया जिस पर मन्दिर अधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करने उपरान्त यह राशि मन्दिर कोष में रसीद संख्या 0018995 दिनांक 28.6.13 के अन्तर्गत जमा करवा दी गई है व राशि जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है।

(ग) मन्दिर न्यास द्वारा जारी की गई रसीदों से प्राप्त आय में से डे–बुक में कम राशि दर्ज करने तथा डे–बुक में राशि दर्ज न करने के कारण ₹6709/– कम जमा करवाए जाने बारेः–

(i) आय की जांच करने पर पाया गया कि रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त की गई वास्तविक राशि से डे–बुक में ₹5859/– कम दर्ज की गई जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दिनांक	रसीद सं0	प्राप्त की गई राशि	डे–बुक में दर्ज की गई राशि	दिनांक	कम दर्ज की गई राशि

1	7.4.11	0014260	250	1450	8.4.11	1800
	8.4.11	0014263	3000			
			3250			
2	2.4.12	0016213	15300	115300	2.4.12	11
		0016216	100011			
			115311			
3	4.4.12	0016230	3000	4300	5.4.12	2700
		0016231	4000			
			7000			
4	2.1.12	15734	151	3201	3.1.12	50
	3.1.12	15739	3100			
			3251			
5	29.5.12	0016671 से 0016674	504	454	29.5.12	50
6	30.5.12	0016689, 0016690,0016693 से 0016698	4956	4856	31.5.12	100
7	25.7.12	0017064, 0017066 व 0017067	1500	1300	26.7.12	200
8	13.8.12	0017169 से 0017171 व 0017174 से 0017176	2104	1653	14.8.12	451

9	13.9.12	0017308 से 0017310	1250	1150	13.9.12	100
10	26.9.12	0017362 से 0017363	2825	2528	27.9.12	297
11	22.10.12	0017499 से 0017500 व 0017501 से 0017507	61560	61460	22.10.12	100
					योग	**5859**

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नविवरणानुसार डे–बुक में राशि दर्ज ही नहीं की गई।

क्र0सं0	**दिनांक**	**रसीद सं0**	**राशि**
1	29.1.12	0015799	250
2	27.4.12	010	100
3	14.6.12	0016786	500
		योग	**850**

इस प्रकार उपरोक्त क्रम संख्या (i) व (ii) के अन्तर्गत कुल ₹5859+₹850=₹6709 कम जमा करवाई गई थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 111 दिनांक 22.6.13 व अधियाचना संख्या 126 दिनांक 22.7.13 जारी करके उक्त अनियमितता को मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया जिस पर मन्दिर अधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से करने के उपरान्त रसीद संख्या 0018987 दिनांक 27.6.13 द्वारा ₹4511 व रसीद संख्या 0019268 दिनांक 6.8.13 द्वारा ₹2198 अर्थात कुल ₹6709 मन्दिर कोष में जमा करवा दी गई है व राशि जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही

कर ली गई है। अतः भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृति को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

8 स्वीकृत बजट में ₹1438935/— का अधिक व्यय करने बारेः—

मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2011 तथा वर्ष 2012 के दौरान निम्नलिखित शीर्षों/उपशीर्षों के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए बजट प्रावधान से अधिक व्यय किया गया है जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना अपेक्षित था अन्यथा इस प्रकार का किया गया व्यय अनाधिकृत है। अतः इस प्रकार के व्यय के नियमितिकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष का नाम	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय	वर्ष
1	जैनरेटर डीजल व्यय	100000	105936	5936	2011
2	लंगर संचालन	3000000	3566824	566824	2011
3	कार्यालय व्यय	200000	265780	65780	2012
4	दान पर व्यय	500000	583400	83400	2012
5	गृहरक्षक वेतन	700000	703213	3213	2012
6	सरकारी कर्मचारी	1500000	1914265	414265	2012
7	मैट, टैन्ट शामियाना व अन्य खर्च	500000	523429	23429	2012
8	स्ट्रॉग कम, गणना कक्ष कार्यालय	1500000	1723588	223588	2012
9	लंगर भवन गेट, ग्रिल	500000	552500	52500	2012
			योग	**₹1438935**	

इसके अतिरिक्त परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में बजट में दिए गए प्रावधान के अनुरूप ही तथा बजट द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही न्यास द्वारा व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 बजट में प्रावधान के बगैर किए गए व्यय की गई ₹2828579/– के बारे:–

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास के बजट के जिन शीर्षों के अन्तर्गत व्यय करने का कोई भी प्रावधान भी नहीं किया गया था उन शीर्षों पर भी मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार वर्ष 2011 में ₹2247776 व 2012 में ₹580803/– अर्थात कुल ₹2828579 का अनाधिकृत रूप से व्यय किया गया है। अतः इस व्यय के बारे में भी सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए व भविष्य में बजट के प्रावधान बिना अनियमित रूप से किए जाने बारे व्यय से निश्चित तौर पर परिहार किया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष का नाम	वर्ष 2011 में व्यय	वर्ष 2012 में व्यय
1	अन्य व्यय	299560	531629
2	बैंक चार्जिज	11694	49174
3	धरोहर/सिक्योरिटी व्यय	158293	–
4	कोर्ट केस व्यय	7500	–
5	मन्दिर मार्ग नं0 1 की सफाई पर	171580	–
6	जेनरेटर शैड फर्श	190306	–
7	लंगर भवन में कोटा स्टोन पर व्यय	190920	–
8	जेनरेटर बिजली फिटिंग/रिपेयर	140298	–

9	जेनरेटर क्रय करने पर	169465	—
10	सैन्ट्रल पूल पर व्यय	500000	—
11	गौशाला चारा/मुआवजा व्यय	413160	—
	योग	**2247776**	**580803**

10 वर्ष 2011 के दौरान बारीदारों को ₹5809542/— का अधिक एवं गलत भुगतानः—

आयुक्त मन्दिर न्यास के कार्यालय पत्र संख्या 5235/पी0एफ0आर0 दिनांक 31.8.1988 के अनुसार बारीदारों को मुख्य मन्दिर व शैया भवन की आय में से पूजा अर्चना व मन्दिर रख रखाव के व्यय (प्रथम प्रभार) को घटाने के बाद शेष बची आय का 50 प्रतिशत हिस्सा ही दिया जाना अपेक्षित था तथा यह भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाना था परन्तु मन्दिर आयुक्त के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी मन्दिर न्यास द्वारा मुख्य मन्दिर की आय में से केवल 20 प्रतिशत पूजा अर्चना का व्यय घटाने उपरान्त शेष बची आय का 50 प्रतिशत हिस्सा बारीदारों को दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास द्वारा यह हिस्सा दिन प्रतिदिन की आय में से दिया जा रहा है जबकि उपरोक्त निर्णय अनुसार बारीदारों को उनके हिस्से का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाना अपेक्षित था। अतः मन्दिर न्यास द्वारा जहॉ एक और पूजा अर्चना एवं मन्दिर रख रखाव पर किए गए व्यय की वास्तविक लागत कम किए बगैर बारीदारों को उनके हिस्से के रूप में अधिक भुगतान किया जा रहा है वही दूसरी तरफ बारीदारों को त्रैमासिक आधार पर भुगतान न करने से मन्दिर न्यास को ब्याज स्वरूप उपार्जित होने वाली आय की भी हानि हुई है। वर्ष 2011 में पूजा अर्चना एवं मन्दिर रख रखाव की वास्तविक कटौती किए बगैर बारीदारों को उनके हिस्से के रूप में ₹5809542/— का गलत एवं अधिक भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

1	वर्ष 2011 में मुख्य मन्दिर, शैया भवन, शैया पूजा, इत्यादि में आय	46585998
2	माईनसः— पूजा अर्चना एवं मन्दिर रख रखाव व्यय वर्ष 2011	

(i)	पूजा अर्चना	261211	
(ii)	लंगर संचालन	3566824	
(iii)	मन्दिर कर्मचारी वेतन	13420861	
(iv)	गृह रक्षक वेतन	503541	
(v)	सिक्योरिटी वेतन	490478	
(vi)	औषधालय व्यय	117799	
(vii)	डिग्री कॉलेज व्यय	2000000	
(viii)	संस्कृत विद्यालय व्यय	600	20361314
3	शुद्ध आय (1–2)		26224684
4	शुद्ध आय का 50 प्रतिशत हिस्सा जो बारीदारों को दिया जाना अपेक्षित था		13112342
5	बरीदारों को वास्तव में दिया गया हिस्सा		18921884
6	अधिक एवं गलत भुगतान (5–4)		5809542

यद्यपि उपरोक्त अनियमितता से सम्बन्धित मामले को बार–2 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाया जाता रहा है तदापि मन्दिर न्यास द्वारा आयुक्त मन्दिर के निर्णयों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि आयुक्त मन्दिर के उक्त उल्लेखित निर्णय को तुरन्त प्रभाव से अमल में लाए जाने व वर्ष 2011 तथा गत वर्षों में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली/समायोजन हेतु मन्दिर न्यास प्राधिकारियों को समुचित निर्देश दिए जाएं। इस सन्दर्भ में अब तक किए गए अधिक भुगतान की अपेक्षित वसूली करने के उपरान्त मन्दिर कोष में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की बारीदार श्रीमती बेबी देवी को बारीदार हिस्से के रूप में ₹44348/– का अधिक एवं गलत भुगतानः–

जॉच के दौरान पाया गया कि दिनांक 1.4.12 को बारीदार श्रीमती बेबी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रजनीश कुमार को मुख्य मन्दिर की आय में से हिस्से के रूप में ₹44348/— का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः—'

दिनांक 1.4.12 को मुख्य मन्दिर से प्राप्त आय	443480
बारीदार को दिया गया हिस्सा	177392
(443480X40%)	
बारीदार को देय योग्य हिस्सा	133044
(443480 X30%)	
अधिक एवं गलत भुगतान	44348

अतः अधिक एवं गलत की गई भुगतान ₹44348/— की वसूली सम्बन्धित बारीदार से करने के उपरान्त यह राशि मन्दिर कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 मातृ छाया यात्री निवास श्री ज्वालामुखी के ठेकेदार श्री अरूण लाल टण्डन के आश्रितों से लीज की राशि, बिजली के बिलों की राशि तथा कम सामान वापिस दिए जाने से सम्बन्धित राशि कुल ₹636476/— की वसूली न करने बारेः—

जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के मातृ छाया यात्री निवास को दिनांक 1.9.09 से संविदाकार श्री अरूण कुमार टण्डन को 5 वर्ष की अवधि हेतु लीज पर दिया गया था। उक्त ठेकेदार की दिनांक 6.1.2012 को मृत्यू हो गई व उक्त संविदाकार के परिजनों ने मातृछाया यात्री निवास को मन्दिर न्यास को बिना बताए छोड दिया गया व सम्पूर्ण सामान को भी मन्दिर न्यास के सुपर्द नहीं किया गया। यात्री निवास को बिना बताए

छोड़ने व जारी सामान के कम पाए जाने के कारण उक्त संविदाकार से दिनांक 15.3.12 तक निम्नलिखित राशियां वसूली जानी शेष है।

क्र0सं0	**अवधि**	**माह**	**मासिक लीज राशि**	**कुल योग**
1	1.9.09 से 31.8.10	12 माह	36000	432000
2	1.9.10 से 31.8.11	12 माह	41400	496800
3	1.9.11 से 15.3.12	6½ माह	47610	309465
			कुल योग	1238265
	माईनस दिनांक 15.3.12 तक प्राप्त लीज राशि			861400
(i)	दिनांक 15.3.12 तक बकाया लीज राशि			376865
(ii)	अदत बिजली बिल			67250
(iii)	जितनी राशि का सामान कम दिया गया			192361
	कुल वसूली योग्य राशि			**636476**

इस सन्दर्भ में आयुक्त मन्दिर न्यास एवं जिलाधीश कांगड़ा के पत्र संख्या क्रमांक ए0डी0एम0 1/2010 मन्दिर 699 दिनांक 4.5.12 द्वारा मन्दिर अधिकारी को मातृछाया यात्री निवास के ठेकेदार से किराये/लीज की बकाया राशि की वसूली करने तथा कम पाए गए सामान के समतुल्य राशि की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई करने व जिन कर्मचारियों को यात्री निवास के देखभाल की जिम्मेवारी सौपी गई थी उनके द्वारा कत्तर्वय निर्वाहन में की गई चूक के दृष्टिगत उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। अतः उक्त आदेशों की अनुपालना में मन्दिर अधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई करने के अतिरिक्त सम्पूर्ण राशि की वसूली करने हेतु प्रभावी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा मन्दिर बोर्ड के द्वार नम्बर–3 व मुख्य मन्दिर के द्वार के पास शौचालयों व स्नानागारों के संचालन का ठेका सुलभ अर्न्तराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संस्था को निशुल्क दिए जाने के बावजूद भी प्राकलन के आधार पर ₹3845436/– का भुगतान करने बारेः–

(i) मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा मन्दिर रोड के द्वार नम्बर–3 व मुख्य मन्दिर के द्वार के पास शौचालयों व स्नानागृहों को बनाने, शैचालयों व स्नानागृहों का रख रखाव करने व 15 वर्ष तक इनका संचालन का ठेका सुलभ अन्तराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संस्था चण्डीगढ़ को निशुल्क आधार पर आंबटित किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त संस्था द्वारा तैयार गए प्राकलन के आधार पर उनको क्रमशः ₹1472533/– व ₹2372903 अर्थात कुल ₹3845436 का भुगतान भी मन्दिर न्यास द्वारा किया जाना प्रस्तावित किया गया था जिसमें निम्नविवरणानुसार ₹3698182/– का भुगतान मन्दिर न्यास द्वारा कर दिया गया है तथा शेष भुगतान करना अभी बाकी है।

क्रमांक	**माप पुस्तिका सं0 व पेज सं0**	**दिनांक**	**भुगतान की गई राशि (₹)**
I	42/01	15.3.12	576815
II	42/36	6.10.12	711871
III	42/56	6.11.12	441760
IV	42/84	22.12.12	711871
V	43/20	15.3.13	797695
VI	43/41	15.6.13	458170
		योग	**3698182**

अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप उक्त दोनों शौचालयों एवं स्नानागृहों के निर्माण का कार्य सुलभ संस्था चण्डीगढ़ द्वारा स्वयं किया जाना था। निर्माण का कार्य सम्पूर्ण होने के उपरान्त 15 साल की अवधि हेतु उक्त दोनों शौचालय एवं स्नानागारों के संचालन एवं रख रखाव का ठेका भी सुलभ संस्था को निशुल्क दिया गया है परन्तु उक्त विवरणानुसार संस्था द्वारा बनाए गए प्राकलन के आधार पर मन्दिर न्यास द्वारा ₹3845436/– का भुगतान करना भी प्रस्तावित किया गया है जिसमें से न्यास द्वारा ₹3698182/– का भुगतान कर भी दिया गया है जो कि पूर्णतया नियमों के विपरीत है क्योंकि अगर निर्माण की सम्पूर्ण लागत का वहन सुलभ संस्था द्वारा किया जाता, तब उसी अवस्था में ही निशुल्क दिया जाना बाजिब था परन्तु इस प्रकरण में शौचालयों एवं स्नानागारों का कार्य एवं संचालन का ठेका उक्त अनुचित प्रक्रिया के अनुसार सुलभ संस्था को देने के कारण जहां एक तरफ मन्दिर न्यास द्वारा निर्माण लागत के रूप में अनुमानित लागत ₹3845436/– में से राशि ₹3698182/– का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष राशि का भुगतान किया जाना तय है वही दूसरी तरफ आगामी 15 वर्षों में उक्त दोनों शौचालयों एवं स्नानागारों का ठेका निशुल्क देने के कारण प्रति वर्ष कई लाखों रूपये की आय से भी वंचित होना पड़ा है। यहां यह भी वर्णित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के विभिन्न बस अडडों पर बने शौचालयों एवं स्नानागारों के निर्माण एवं संचालन का ठेका बी0ओ0टी0 आधार पर दिया जाता है व ऐसे प्रकरणों में निर्माण लागत का भुगतान भी सुलभ संस्था द्वारा स्वयं ही किया गया है व उसके एवज में उन्हें बस अडडों पर बने शैचालयों का संचालन एवं रख रखाव निर्धारित सीमित अवधि हेतु निशुल्क दिया जाता है। अतः मन्दिर न्यास के अधिकारियों द्वारा अनुचित प्रक्रिया अपनाकर सुलभ संस्था के साथ किए गए गलत अनुबन्ध के कारण सुलभ संस्था को कई लाखों रूपये का प्रतिवर्ष अवांछित एवं अप्रत्याशित लाभ प्रदान किया गया है। अतः उक्त पूरा प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में अपेक्षित जांच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा सुलभ अर्न्तराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संस्था को प्राकलन की राशि का भुगतान करने के साथ शौचालयों एवं स्नानागारों का ठेका निशुल्क आधार पर दिए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

14 मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की सीढियों के पास निर्मित शौचालय एवं स्नानागृह का ठेका मैसर्ज जय मां इन्टरप्राईजिज चिन्तपूर्णी को बिना फीस/शुल्क के देने के कारण मन्दिर न्यास को हुई ₹188000/– की वित्तीय हानि के बारे में:–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की सीढियों के पास निर्मित शौचालय एवं स्नानागृह का ठेका निम्नलिखित फर्मों को गत वर्षों में दिया जाता रहा है।

क्र0सं0	अवधि	ठेके की राशि	संस्था/फर्म का नाम एवं पता
1	1.7.10 से 30.6.11	186000	सैन्टर फार सोशल वैलफेयर रांची, झारखंड
2	1.7.11 से 30.6.12	188000	ज्योति सामाजिक संस्था, दिल्ली

तत्पश्चात अवधि 1.7.12 से 30.9.12 के दौरान उक्त कार्य का ठेका ज्योति सामाजिक संस्था दिल्ली को व 1.10.12 से लगातार उक्त कार्य का ठेका मैसर्ज जय मां इन्टरप्राईजिज चिन्तपूर्णी को बिना कोई राशि प्राप्त के ही दिया गया है जिसके फलस्वरूप मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी को अवधि 1.7.12 से 30.6.13 के दौरान कम से कम ₹188000/– जोकि गत वर्ष की ठेके की राशि थी. की वित्तीय हानि हो चुकी है। यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है कि सहायक आयुक्त मन्दिर एवं एस0डी0एम0 देहरा द्वारा उक्त ठेके की नस्ति पर स्पष्ट लिखा है कि "नवरात्रों को मध्यनजर रखते हुए नवरात्रों तक अर्थात 10 दिन हेतु काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में उक्त कार्य का ठेका जय मां इन्टरप्राईजिज चिन्तपूर्णी को बिना किसी राशि के प्रदान किया जाता है व नवरात्र के उपरान्त उक्त कार्य का ठेका दीर्घकालीन अवधि हेतु पूर्व की भांति निविदाओं के आधार पर ठेके पर दिया जाए। सहायक आयुक्त मन्दिर के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी मन्दिर न्यास द्वारा उक्त कार्य का ठेका बिना निविदाऐं प्राप्त किए तथा बिना ठेका राशि प्राप्त किए दिया गया है। अतः उक्त वित्तीय हानि का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त अपेक्षित राशि की वसूली हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त तुरन्त प्रभाव से उक्त कार्य के ठेके हेतु निविदाएं आमन्त्रित करने के

उपरान्त कम से कम पिछले वर्ष में प्राप्त ठेके की ₹188000/— का सुरक्षित मूल्य/आधार राशि घोषित करके इससे उच्च दरों पर इस कार्य का ठेका आंबटित किया जाए ताकि मन्दिर न्यास को हो रही वित्तीय हानि को रोका जाना सम्भव हो सके। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर तीन वर्षों के लिए मां ज्वाला जी के लाईव दर्शन का ठेका विस्तास डिजीटल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड मुम्बई को अत्यधिक कम दर देने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा मॉ ज्वाला जी के आनलाईन लाईव दर्शन का ठेका विस्तास डिलीटल मीडिया लिमिटेड कम्पनी, पलम स्प्रिंग लिंक रोड मलाद, मुम्बई को ₹1250000/— प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया जिसकी पुष्टि दिनांक 3.12.11 को आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा व विस्तास डिजीटल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई के बीच हुए अनुबन्ध नस्ति से हुई है। उक्त अनुबन्ध करने/ठेका देने से पूर्व किसी भी प्रकार की निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की है अर्थात न तो इस कार्य हेतु टैण्डर आमन्त्रित किए है व न ही अखबारों में विस्तृत प्रचार एवं प्रसार करने के प्रयोजन से विज्ञापन दिया गया है। अतः टैण्डर आमन्त्रित न किए जाने के कारण एवं अखबारों में विस्तृत प्रचार हेतु विज्ञापन न देने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाए बगैर ही अत्याधिक न्यूनतम दरों पर यह विस्तास डिजीटल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड को दिया गया है। अतः बिना टैण्डर बुलाए व बिना विज्ञापन दिए अत्याधिक कम दरों पर उक्त कम्पनी को यह ठेका देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुबन्ध की वाषिर्क ₹1250000/— को न्यायोचित ठहराया जाए। यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है कि अनुबन्ध की शर्त (2) के अनुसार विस्तास डिजीटल मीडिया कम्पनी को निम्नलिखित विशेषाधिकार दिए गए है।

Vistaas has sole & exclusive license to use & exploit the work commercially & non commercially by using method not Known.

(a)Right to capture audio & video from shrine premises & its outer periphery to produce various rendition of the work on behalf of the trust, to make SMS, IVR, CRBT, BGM, USSD,

messaging, full songs, promos of songs, monophonic, ringtone, polyphonic ring tones etc & other services in Jawala Ji Temple as & when required by Vistaas.

(b) Right to use these works various digital plateforms for communication of all manners method, media, including without any limitations mobile or selluler communication devices, mobile television, website, Direct to Home (DTH), IPTV Cable TV, Satellite, VOD, MOD, PPV, Mobile streaming, webrights, wap rights, video on DVD, VCD, Blue Rags Dics, Chip etc and all other upcoming formats and to all software owned by Trust forever together with all such rights being created.

(c) The right to appoint marketing agents and licenses with exclusive right through out the territory for the team.

(d) Right to sub lience of the rights

(e) Right to communicate the work through all means and method without limitation of all forms of televesions & internet base devices & all wired & wireless forms.

उपरोक्त उल्लेखित विशेषाधिकारों से स्वतः स्पष्ट है कि विस्तास डिजीटस प्राईवेट लिटिड कम्पनी सम्पूर्ण भारत में मां ज्वालाजी की लाईव रिकार्डिंग को किसी भी चैनल को बेचने, सब लाईसैंस देने एवं मोबाईल एवं इन्टरनैट पर प्रयोग करने का विशेषाधिकार रखती है जिसके बदले में मां ज्वालाजी के खजाने में मात्र ₹1250000/– वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त कम्पनी से अनुबन्ध की अवधि 3 वर्ष जो कि 7.3.15 को समाप्त होगी, के उपरान्त विस्तृत विज्ञापन जारी करके तथा निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही यह कार्य आंबटित किया जाए ताकि आनलाईन लाईव दर्शन का ठेका देने से मन्दिर न्यास श्री ज्वाला जी को प्राप्त हो रही वार्षिक आय ₹1250000/– में वृद्धि हो सके।

16 मां ज्वाला जी के लाईव दर्शन के संविदाकार विस्तास डिजीटल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड मुम्बई द्वारा दो त्रैमासिक किश्तों की ₹62500/– कम जमा करवाने बारेः–

मां ज्वाला जी के लाईव दर्शन के संविदाकार विस्तास डिजीटल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड मुम्बई द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अग्रिम तौर पर त्रैमासिक आधार पर चार किश्तों ₹312500/– प्रति किश्त की दर से मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में जमा करवानी अनिवार्य थी लेकिन सम्बन्धित संविदाकार फर्म द्वारा दूसरी व तीसरी किश्त में प्रति किश्त ₹312500/– की जगह प्रति किश्त ₹281250/–ही जमा करवाई गई है। जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित फर्म द्वारा निम्नविवरणानुसार दूसरी व तीसरी किश्त में ₹31250/– प्रति किशत की दर से ₹62500/– कम जमा करवाई गई है।

क्र0सं0	चैक सं0	दिनांक	किश्त	देय राशि	जमा राशि	कम जमा करवाई गई राशि
1	012876	3.1.12	प्रथम	312500	312500	शून्य
2	943763	30.6.12	द्वितीय	312500	281250	31250
3	04665	10.10.12	तृतीय	312500	281250	31250
					योग	**62500**

अतः संविदाकार फर्म द्वारा उक्त वर्णित ₹62500/– को कम जमा करवो का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित फर्म से ₹62500/– की वसूली ब्याज सहित की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 बिना टैण्डर बुलाए लंगर का अवधि 1.3.10 से 30.9.12 का ठेका हेतु पुरानी दरों पर तथा अवधि 1.10.12 से आगामी 2 वर्षों हेतु 10% वृद्धि के साथ देने के कारण मन्दिर न्यास की हुई ₹647900/– की वास्तविक हानि तथा भविष्य में होने वाली ₹645600/– की सम्भावित वित्तीय हानि के बारे मेंः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अवधि 1.3.10 से 31.8.10 के लिए ट्रायल आधार पर लंगर संचालन का ठेका प्रथम न्यूनतम दर ₹39100/– भरने वाले संविदाकार श्री रिखी रमन कपूर को न देकर द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाले संविदाकार श्री विपिन कुमार अवस्थी को ₹60000/– प्रति माह की दर से बिना समझौता वार्ता के 6 माह की अवधि हेतु दिया गया था तथा उक्त लंगर संचालन का ठेका 6–6 माह की अवधि को बढ़ाते हुए प्रथमतः दिनांक 31.8.11 तक तथा पुनः दिनांक 1.9.11 से 30.9.12 तक उसी संविदाकार को पुरानी दरो ंपर ही दिया जाता रहा। तत्पश्चात आयुक्त मन्दिर न्यास एवं जिलाधीश कांगड़ा के पत्र संख्या 961–962 दिनांक 12.7.12 द्वारा अवधि 1.10.12 से 2 वर्षो के लिए लंगर संचालन को ठेका उसी पुराने संविदाकार को 10% वृद्धि के साथ ₹66000/– प्रतिमाह (60000+10% वृद्धि 6000) की दर से बिना टैण्डर बुलाए दिया गया है। उक्त अनियमित प्रक्रिया अपनाकर लंगर संचालन का ठेका श्री विपिन कुमार अवस्थी को देने के फलस्वरूप मन्दिर न्यास को अवधि 1.3.10 से 30.9.12 के दौरान ₹20900/– प्रतिमाह की दर से 31 माह के लिए ₹647900/– की वित्तीय हानि उठानी पड़ी थी। तत्पश्चात पुनः बिना टैण्डर बुलाए लंगर संचालन का ठेका 10% वृद्धि के साथ ₹66000/– प्रतिमाह की दर से 2 वर्षों हेतु दिनांक 1.10.12 से पुराने संविदाकार श्री विपिन अवस्थी को दे दिया गया जिससे अवधि 1.10.12 से आगामी दो वर्षों के दौरान लगभग ₹26900x24=₹645600/– की वित्तीय नुकसान होना तय है जिस बारे में ठोस तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकरण में यथोचित कार्रवाई अमल में लाई जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 लंगर संचालन के लिए 16 माह तक मन्दिर न्यास के कर्मचारियों की सेवाएं संविदाकारो को उपलब्ध करवाकर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से ₹295790/– का लाभ पहुॅंचानाः–

मन्दिर न्यास द्वारा लंगर संचालन का कार्य ठेके पर देने के बावजूद भी मन्दिर न्यास की श्रीमती कमला देवी व श्रीमती वृन्दला देवी नियमित सफाई सेवक को अवधि 1.9.11 से 31.12.12 के दौरान 16 माह के लिए लंगर में राशन की सफाई हेतु तैनात रखा गया जिसकी पुष्टि उनके कतर्व्य चार्ट से हुई है। उक्त अवधि में इन कर्मचारियों को ₹188386/– तथा ₹107404/– के वेतन का भुगतान मन्दिर न्यास द्वारा किया गया है। अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप लंगर बनाने, परोसने व सफाई इत्यादि का कार्य ठेकेदार द्वारा

स्वयं अपने कर्मचारियों से करवाया जाना था जिस हेतु 4 रसोईए व 10 अन्य कर्मचारी ठेकेदार द्वारा नियुक्त करने अनिवार्य थे लेकिन इसके बावजूद भी मन्दिर न्यास द्वारा अपने दो कर्मचारियों की डयूटी लंगर में लगाने के कारण सम्बन्धित ठेकेदार को 16 माह के लिए ₹295790/– का अप्रत्याशित लाभ अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है। यद्यपि उक्त गम्भीर अनियमितता को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उठाया गया था लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मन्दिर न्यास के पास ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं है जिससे इस बात की पुष्टि की जा सके कि ठेकेदार द्वारा वास्तव में 4 रसोईए व 10 अन्य कर्मचारी लंगर में नियुक्त किए गए है। अतः उक्त दोनों कर्मचारियों के 16 माह के वास्तविक वेतन ₹295790/– की वसूली के अतिरिक्त अप–टू–डेट वसूली की गणना न्यास स्तर पर करके कुल राशि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जानी सुनिश्चित की जाए व तुरन्त प्रभाव से श्रीमती कमला देवी व श्रीमती वृन्दला देवी नियमित सफाई सेवकों की सेवाएं लंगर से हटाकर मन्दिर न्यास के अन्य उपयोगी स्थान पर सेवाएं ली जाएं ताकि लंगर संचालन के ठेकेदार को अनैतिक, अनियमित एवं अप्रत्याशित तरीके से दिए जा रहे वित्तीय लाभ को तुरन्त प्रभाव से रोका जाए तथा मन्दिर न्यास को अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े तथा ।

19 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को तथा स्थाई वेतन पर नियुक्त बेलदार कर्मचारियों को नियमों के विपरीत वर्दी भत्ता प्रदान करने के कारण मन्दिर न्यास कोष पर ₹61540/– पर अतिरिक्त बोझ डालने बारेः–

आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला के पत्र संख्या क्रमांक ए0डी0एम0 1/2007 मन्दिर 1144 से 1151 दिनांक 29.12.2007 द्वारा मन्दिरों में कार्यरत्त सभी वर्गों के नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर 1.1.08 से ₹140/– मासिक वर्दी भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसकी अनुपालना में दिनांक 1.1.08 से मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में कार्यरत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सेवादारों व सफाई सेवकों एवं अन्य नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ₹140/– प्रतिमाह वर्दी भत्ता प्रदान किया गया है। इसके उपरान्त 18.6.10 को मन्दिर न्यास प्रशासन की मीटिंग आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के चैम्बर में सम्पन्न हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अलावा तृतीय श्रेणी के सभी कर्मचारियों को ₹200/– प्रतिमाह की दर से वर्दी भत्ता 1.7.2010 से प्रदान किया जाए। उक्त मीटिंग की प्रोसिडिंगस के आधार पर मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा दिनांक 1.7.10 से तृतीय श्रेणी कर्मचारियों अर्थात

वरिष्ठ सहायकों, वरिष्ठ क्लर्कों, क्लर्को, अध्यापकों, चित्रकार, मिस्त्री के साथ–2 स्थाई वेतन पर नियुक्त बेलदारों व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को भी क्रमशः ₹200/– प्रतिमाह एवं ₹140/– प्रतिमाह की दर से वर्दी भत्ता प्रदान कर दिया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–2 पर जारी अनुदेशों तथा प्रावधित नियमों के विपरीत है। नियमानुसार कोई भी स्वायत्त संस्था बोर्ड, निगम, ट्रस्ट/मन्दिर न्यास अपने कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभों एवं भत्तों की सीमा से अधिक एवं ज्यादा वित्तीय लाभ एवं भत्ते प्रदान करने हेतु सक्षम नहीं है। अतः नियमों के विपरीत तृतीय श्रेणी, स्थाई वेतन पर नियुक्त बेलदारों एवं दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को वर्दी भत्ते का भुगतान करने के कारण मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी कोष पर निम्नविवरणानुसार ₹61540/– का अतिरिक्त बोझ पड़ा है जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से की जानी सुनिश्चित की जाए व इस प्रकार के वर्दी भत्ते के अनियमित भुगतान को तुरन्त प्रभाव से रोका जाए।

क्र0 सं0	**कर्मचारी का नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	**कुल संलिप्त महीने**	**वर्दी भत्ते की दर**	**गलत एवं अनियमित भुगतान/वसूली योग्य राशि**
1	श्रीमती आर्दश वाला	वरिष्ठ सहायक	9/11 से 12/12	16	200	3200
2	श्रीमती अन्जु शर्मा	वरिष्ठ सहायक	9/11 से 12/12	16	200	3200
3	श्री मनोहर लाल	वरिष्ठ सहायक	9/11 से	16	200	3200

			12/12			
4	श्रीमती राणो देवी	वरिष्ठ क्लर्क	5/12 से 12/12	8	200	1600
5	श्री देश राज	वरिष्ठ क्लर्क	9/11 से 12/12	16	200	3200
6	श्री अशोक कुमार	वरिष्ठ क्लर्क	9/11 से 12/12	16	200	3200
7	श्री कमल कुमार	वरिष्ठ क्लर्क	1/12 से 12/12	12	200	2400
8	श्री नरेश कुमार	वरिष्ठ क्लर्क	9/11 से 12/12	16	200	3200
9	श्री सुरेन्द्र कुमार	वरिष्ठ सहायक	8/11 से 12/11, 1/12 से ब्रजेश्वरी मन्दिर कांगड़ा को स्थानांनतरित	5	200	1000
10	श्री दिनेश कुमार	वरिष्ठ लिपिक	8/11 से 4/12, 5/12 से ब्रजेश्वरी मन्दिर कांगड़ा को स्थानांतरित	9	200	1800
11	श्री नरेन्द्र कुमार	लिपिक	8/11 से 1/12, 2/12 से ब्रजेश्वरी	5	200	1000

			मन्दिर कांगड़ा को स्थानातरित			
12	श्री बलदेव सिंह	लिपिक	2/12 से 12/12	11	200	2200
13	श्री शमशेर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता	8/11 से 12/12	17	200	3400
14	श्री प्रबल कुमार	शास्त्री	10/11 से 12/12	15	200	3000
15	श्री मोहिन्द्र सिंह	शास्त्री	10/11 से 12/11	15	200	3000
16	श्रीमती वीना देवी	शास्त्री	10/11 से 12/12	15	200	3000
17	श्री अनूप कुमार	शास्त्री	3/12 से 12/12	10	200	2000
18	श्री विनोद शुक्ला	डाक्टर	8/11 से 12/12	17	200	3400
19	श्री जोगिन्द्र	चित्रकार	9/11 से 12/12	16	200	3200
20	श्री संदीप कुमार	नारसिंगा वादक	5/12 से 12/12	8	140	1120
21	श्रीमती हुक्मी देवी		5/12 से 12/12	8	140	1120
22	श्रीमती पुष्पा देवी	मालिन	5/12 से 12/12	8	140	1120
23	श्री ओम प्रकाश	शहनाई वादक	5/12 से	8	140	1120

			12/12			
24	श्री शमशेर	शहनाई वादक	5/12 से 12/12	8	140	1120
25	श्री विधि चन्द	शहनाई वादक	5/12 से 12/12	8	140	1120
26	श्री गिरधारी लाल	शहनाई वादक	5/12 से 12/12	8	140	1120
27	श्री कुलवन्त कुमार	ढोलक वादक	5/12 से 12/12	8	140	1120
28	श्री विजय कुमार	जूता रक्षक	5/12 से 12/12	8	140	1120
29	श्री विक्रय चन्द	दैनिक भोगी	4/12 से 12/12	9	140	1260
					योग	**61540**

उक्त अनियमितता को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2010 के पैरा संख्या 14 में भी उठाया गया था लेकिन इसके बावजूद भी मन्दिर न्यास द्वारा वर्दी भत्ते का अनियमित भुगतान किया जा रहा है। अतः उक्त वर्दी भत्ते के अनियमित भुगतान पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाए।

20 श्री विवेक सूद, कनिष्ठ अभियन्ता को वेतन एवं भत्तों के रूप में वर्ष 2008 से वर्ष 2010 के दौरान किए गए ₹59241/– के अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली बारेः–

आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के कार्यालय पत्र संख्या 883–888 दिनांक 19.7.10 के अनुसार श्री विवेक सूद कनिष्ठ अभियन्ता का मूल वेतन दिनांक 3.1.05 से ₹5800/– निर्धारित किया गया है व तदानुसार उनकी पंजिका एवं निजि नस्ति के अनुसार

उक्त कर्मचारी का आगामी वर्षों का मूल वेतन सहायक आयुक्त मन्दिर एवं एस0डी0एम0 नूरपूर द्वारा निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया गया है।

पद का नाम	**वेतनमान**	**दिनांक**	**मूल वेतन**
श्री विवेक सूद, कनिष्ठ अभियन्ता	5800—9200	3.1.05	5800
		1.1.06	6000
		14.11.07	6200
		1.11.08	6400
		1.11.09	6600

तत्पश्चात उनके दिनांक 1.10.2002 से जारी संशोधित पे—स्केल 5800—9200 व उनकी वरिष्ठता को आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा द्वारा पत्र संख्या 883—888 दिनांक 19.7.10 के अन्तर्गत वापिस ले लिया है, फलस्वरूप उनको अवधि 1.1.08 से 31.12.10 के दौरान किए गए वेतन एवं भत्तों के अधिक एवं गलत भुगतान तथा ई0पी0एफ0 में नियोक्ता अंशदान के रूप में अधिक भेजी गई राशि की वसूली उनसे की जानी अपेक्षित थी। उक्त कर्मचारी को किए गए वेतन एवं भत्तों के अधिक भुगतान इत्यादि की जांच के लिए मन्दिर न्यास के वर्ष 2009 व वर्ष 2010 के अंकेक्षण के दौरान उक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका व व्यक्तिगत नस्ति प्रस्तुत न करने बारे वर्ष 2009 व वर्ष 2010 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा संख्या 36 व पैरा संख्या 38 के अन्तर्गत आपत्ति उठाई गई थी तथा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पुनः अनुरोध करने पर उक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका व व्यक्तिगत नस्ति प्रस्तुत की गई जिसकी जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को वर्ष 2008 से वर्ष 2010 के दौरान निम्नविवरणानुसार वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹52144 व नियोक्ता अंशदान के रूप में उक्त कर्मचारी के ई0पी0एफ0 के खाते में ₹7797/— अर्थात कुल ₹59241/— का मन्दिर

न्यास श्री ज्वालामुखी से अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिनकी संस्था स्तर भी जांच की जाए।

माह	मूल वेतन	डी0पी0	डी0ए0	ए0डी0ए0	चिकित्सा भत्ता	देय राशि	आहरित राशि	अधिक एवं गलत भुगतान
1/08	6200	3100	930	930	40	11200	12640	1440
2/08	6200	3100	930	930	40	11200	12640	1440
3/08	6200	3100	930	930	40	11200	12640	1440
4/08	6200	3100	930	930	40	11200	12640	1440
5/08	6200	3100	930	930	40	11200	12640	1440
6/08	6200	3100	930	930	40	11200	12640	1440
7/08	6200	3100	930	930	40	11200	12640	1440
8/08	6200	3100	930	930	40	11200	12640	1440
9/08	6200	3100	930	930	40	11200	12640	1440
10/08	6200	3100	930	930	40	11200	12640	1440
11/08	6400	3200	960	960	100	11620	12700	1080
12/08	6400	3200	960	960	100	11620	12700	1080
1/09	6400	3200	1920		100	11620	13096	1476
2/09	6400	3200	1920		100	11620	13096	1476
3/09	6400	3200	1920		100	11620	13096	1476
4/09	6400	3200	1920		100	11620	13096	1476

5/09	6400	3200	1920	100	11620	13096	1476
6/09	6400	3200	1920	100	11620	13096	1476
7/09	6400	3200	1920	100	11620	13096	1476
8/09	6400	3200	1920	100	11620	13096	1476
9/09	6400	3200	2880	100	12580	14179	1599
10/09	6400	3200	2880	100	12580	14179	1599
11/09	6600	3300	2970	100	12970	14179	1209
12/09	6600	3300	2970	100	12970	14179	1209
1/10	6600	3300	2970	100	12970	14608	1638
2/10	6600	3300	2970	100	12970	14608	1638
3/10	6600	3300	2970	100	12970	14608	1638
4/10	6600	3300	2970	100	12970	14608	1638
5/10	6600	3300	2970	100	12970	14608	1638
6/10	6600	3300	2970	100	12970	14608	1638
7/10	6600	3300	2970	100	12970	14608	1638
8/10	6600	3300	2970	100	12970	14608	1638
9/10	6600	3300	2970	100	12970	14608	1638
10/10	6600	3300	2970	100	12970	14608	1638
11/10	6800	3400	3060	100	13360	14808	1448
12/10	6800	3400	3060	100	13360	13692	332
							52144
			नियोक्ता अंशदान 13.61**%** (52144X13.61**%**)				7097

₹59241

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त कर्मचारी श्री राम गोपाल मन्दिर न्यास डमटाल से दिनांक 30.4.12 को स्वैच्छिक सेवानिवृति ले चुका है व उनके पक्ष में आयुक्त मन्दिर की स्वीकृति पत्र संख्या 900–902 दिनांक 19.6.12 के अनुसार सेवा निवृत उपदान के रूप में ₹209108/– व अर्जित अवकाश भुनाने की एवज में ₹41423/– अर्थात कुल ₹250531/– की स्वीकृति दी जा चुकी है लेकिन उक्त स्वीकृति पत्र में स्पष्ट लिखा था कि "This sanction is subject to outstanding dues, recoverable from the official in pursuance of this letter No. 883 to 888 dated 19-7-10. Since the recovery of outstanding amount has been stayed by the Hon"ble High Court of H.P. an amount equal to the amount recoverable from the retree be kept in abeyance till final out come of CWP No.-159/2012 titled as Vivek Sood v/s State of H.P. & others. इस प्रकार उक्त स्वीकृति के अनुसार उक्त कर्मचारी को अन्तिम भुगतान से पूर्व उनको गत वर्षों में वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान की राशि की गणना करने उपरान्त उन्हें रोका जाना (to be kept in abeyance) अनिवार्य था व इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के उपरान्त ही निर्णयनुसार कार्रवाई अमल में लानी अपेक्षित थी लेकिन श्री राम गोपाल मन्दिर अधिकारी द्वारा स्वीकृति की शर्त को नजर अन्दाज करते हुए सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है जोकि स्वीकृति की शर्तों के विपरीत है। इस प्रकरण में श्री राम गोपाल मन्दिर द्वारा स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप मन्दिर श्री ज्वालामुखी से "No Due Certificate" भी लेना अनिवार्य था क्योंकि उक्त कर्मचारी मन्दिर न्यास ज्वालामुखी में वर्ष 2008 से वर्ष 2010 के दौरान कार्यरत्त रहा परन्तु ऐसा न करने से उक्त कर्मचारी को मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा अवधि 1.1.08 से 31.12.10 के दौरान वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान की राशि को भी नहीं रोका गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व नियमानुसार इस मामले में अब कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय आने के बाद निर्णय से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए व निर्णय के अनुसार की गई कार्रवाई से भी इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 श्री अनूप कुमार, अनुबन्ध अध्यापक को मन्दिर न्यास के संस्कृत विद्यालय में नियमों के विपरीत नियमित नियुक्ति देने बारेः–

मन्दिर अधिकारी के पत्र संख्या 750 दिनांक 21.7.05 द्वारा श्री अनूप कुमार, शास्त्री को श्री ज्वालामुखी मन्दिर न्यास द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालय में ₹5000/– मासिक नियत वेतन पर अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई थी जिसके बाद एक–एक वर्ष के अन्तराल पर उनके अनुबन्ध को आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा द्वारा बढ़ाया जाता रहा है तथा दिनांक 1.12.09 से उक्त कर्मचारी का वेतन ₹5000/– से बढ़ाकर ₹6500/– व 1.6.10 से ₹13500/– नियत वेतन कर दिया गया तथा जिलाधीश कांगड़ा एवं अध्यक्ष न्यास के कार्यालय पत्र संख्या 306 से 308 दिनांक 28.2.12 द्वारा श्री अनूप कुमार को 10300–34800+3200 ग्रेड पे के स्केल में बतौर संस्कृत अध्यापक नियमित तौर पर नियुक्ति प्रदान की गई है जोकि पूर्णतया नियमों के विपरीत है क्योंकि अभी तक उक्त कर्मचारी का अनुबन्ध के आधार पर 8 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण नहीं हुआ था। उक्त कर्मचारी की अनुबन्ध के आधार पर कार्यग्रहण की तिथि 26.7.05 है व अनुबन्ध के आधार पर आठ वर्ष का सेवाकाल 26.7.13 के बाद ही पूर्ण ही होना था जोकि अनुबन्ध कर्मचारी की नियमित नियुक्ति प्रदान करने हेतु न्यूनतम पात्रता है। इस प्रकार उक्त कर्मचारी द्वारा अनुबन्ध के 8 वर्ष के सेवाकाल का कार्य पूर्ण किए बगैर ही उन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान करना सेवानियमों व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–2 पर जारी किए आदेशों की अवहेलना है। अतः नियमों की अवहेलना करते हुए उक्त अनुबन्ध कर्मचारी को निर्धारित 8 वर्षों का सेवाकाल पूर्ण किए बगैर नियमित नियुक्ति प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निर्धारित अवधि से पूर्व उनका वेतन बढ़ाए जाने तथा निर्धारित अवधि से पूर्व उनको नियमित करने के परिणामस्वरूप किए गए अधिक भुगतान की गणना मन्दिर न्यास स्त्तर पर करके इसकी जांच अंकेक्षण सें कार्रवाई जाए तथा इस प्रकार उनको अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उनके वेतन से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इन विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखित करना अति आवश्यक है कि मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के संस्कृत विद्यालय हेतु मुख्याध्यापक का 1 पद व अध्यापक के 3 पद स्वीकृत है। अध्यापक के 3 पद पहले से ही भरे हुए है। इस प्रकार बिना किसी खाली पद के श्री अनूप कुमार की संस्कृत विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा जिला कांगड़ा मन्दिर न्यास कर्मचारी सेवानियम 2000 की स्पष्ट अवहेलना है। अतः बिना किसी स्वीकृत पद के नियमित नियुक्ति प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट भी किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्ण विन्यास (संशोधन) विधेयक दिनांक 5.6.07 के 3 (b) के अनुसार भर्ती एवं पदोन्नति की शक्तियां मुख्य आयुक्त मन्दिर एवं प्रधान सचिव भाषा एवं संस्कृति विभाग के पास निहित है परन्तु इस प्रकरण मे जिलाधीश कांगड़ा एवं आयुक्त

मन्दिर न्यास से ही स्वीकृति प्राप्त की गई है। अतः सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करवाए बगैर उक्त नियुक्ति करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए।

22 श्री नरेश कुमार, वरिष्ठ लिपिक को अनियमित रूप से वार्षिक वेतन वृद्धियॉं प्रदान करने के कारण उनको वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹29876/– का गलत एवं अधिक भुगतान करनाः–

आयुक्त मन्दिर न्यास एवं जिलाधीश कांगड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 18.6.10 को हुई बैठक की प्रोसिडिंग की मद संख्या 6 व कार्यालय आदेश संख्या सी0टी0–के0जी0आर0–टेम्पल–1054–1062 दिनांक 15.9.10 द्वारा कांगड़ा जिला के सभी मन्दिर अधिकारियों को आदेश दिए गए थे कि जिन कर्मचारियों ने कम्पयूटर प्रशिक्षण उपरान्त कम्पयूटर टाईप टैस्ट पास नहीं किया है अथवा जो कर्मचारी कम्पयूटर पर टंकण कार्य करने में असफल रहे है, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाए। उपरोक्त आदेशों की अनुपालना में मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी में कार्यरत्त श्री मनोहर लाल वरिष्ठ सहायक की दिनांक 1.9.10 से तथा श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लिपिक की दिनांक 1.8.10 से वेतन वृद्धि रोक भी दी गई थी लेकिन आयुक्त मन्दिर के आदेशों की अवहेलना करते हुए मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा श्री नरेश कुमार, वरिष्ठ लिपिक जो कि उपरोक्त उल्लेखित आदेशों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि पाने हेतु पात्रता पूरी नहीं करते थे, को दिनांक 1.1.11, 1.1.12 व 1.1.13 से गलत एवं अनियमित तरीके से वेतन वृद्धियां प्रदान कर दी गई है जिसके फलस्वरूप उक्त कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के रूप में दिनांक 1.'1.11 से 30.6.13 तक निम्नविवरणानुसार ₹29876/– का गलत एवं अधिक भुगतान किया गया है जिसकी अपटूडेट वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व इस प्रकरण में जिलाधीश कांगड़ा एवं आयुक्त मन्दिर के आदेशों की अनुपालना में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर उपरोक्त वेतन वृद्धियों पर तुरन्त रोक लगाई जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	अवधि	देय मूल वेतन	दिया गया मूल वेतन	अन्तर	मंहगाई भत्ता की दर	मंहगाई भत्ते की राशि	माह	वसूली योग्य राशि (₹)

1	1.10.11 से 30.6.11	9300	9660	360	20%	72	6	432X6=2592
2	1.7.11 से 31.12.11	9300	9660	360	30%	108	6	468X6=2808
3	1.1.12 से 31.7.12	9300	10030	730	40%	292	7	1022x7=7154
4	1.8.12 से 30.11.12	9300	10030	730	58%	423	4	1153X4=4612
5	1.12.12 से 31.12.12	9300	10030	730	72%	526	1	1256X1=1256
6	1.1.13 से 30.6.13	9300	10410	1110	72%	799	6	1909X6=11454
							योग	**₹29876**

23 वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹43967/— का अधिक एवं गलत भुगतानः—

मुख्य आयुक्त मन्दिर के अनुमोदन उपरान्त आयुक्त मन्दिर न्यास द्वारा पत्र संख्या CT-KGR-1390 से 1396 दिनांक 29.10.11 के अन्तर्गत स्थाई वेतन पर नियुक्त निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिनांक 1.10.11 से नियमितियॉ नियुक्ति प्रदान की गई।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	वेतनमान	कार्यग्रहण की तिथि
1	सर्व श्री जनक राम	4900—10680 ग्रेड पे 1300	3.11.11 पूर्वांहन
2	मोहिन्द्र सिंह	4900—10680 ग्रेड पे 1300	3.11.11 पूर्वांहन
3	दशरथ	4900—10680 ग्रेड पे 1300	3.11.11 पूर्वांहन
4	प्रीतम चन्द	4900—10680 ग्रेड पे 1300	3.11.11 पूर्वांहन

5	लेख राज	4900—10680 ग्रेड पे 1300	3.11.11 पूर्वांहन
6	भुवनीश कुमार	4900—10680 ग्रेड पे 1300	3.11.11 पूर्वांहन
7	सुरेश कुमार	4900—10680 ग्रेड पे 1300	3.11.11 पूर्वांहन

उक्त कर्मचारियों को दिनांक 1.10.11 से नियमित किया गया है परन्तु उनकी कार्यग्रहण की तिथि 3.11.11 हैं। फलस्वरूप उक्त कर्मचारियों को नियमित वेतनमानों के अन्तर्गत वेतन दिनांक 3.11.11 (कार्यग्रहण तिथि) से दिया जाना अपेक्षित था जबकि मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 3.11.11 के स्थान पर 1.10.11 से ही नियमित नियुक्ति का वेतन दिया गया है जिसके फलस्वरूप उक्त कर्मचारियों के वेतन एवं भतों के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹43967/— का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है।

क्र0 सं0	**कर्मचारी का नाम**	**माह 10/11 में अधिक दिया गया वेतन**	**माह 11/11 में अधिक दिया गया वेतन**	**अधिक एवं गलत भुगतान**	**नियोक्ता अंशदान**	**कुल अधिक एवं गलत भुगतान**
1	सर्व श्री जनक राम	(8425—3440) = 4985	544	5529	752	6281
2	मोहिन्द्र सिंह	4985	544	5529	752	6281
3	दशरथ	4985	544	5529	752	6281
4	प्रीतम चन्द	4985	544	5529	752	6281
5	लेख राज	4985	544	5529	752	6281
6	भुवनीश कुमार	4985	544	5529	752	6281
7	सुरेश कुमार	4985	544	5529	752	6281
					योग	**₹43967**

अतः अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारियों से करने उपरान्त मन्दिर कोष में जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 श्री राजन बासुदेवा, सहायक अभियन्ता के आश्रितों को अर्जित अवकाश के एवज में ₹15750/– का अधिक एवं गलत भुगतानः–

स्वर्गीय श्री राजन बासुदेवा, सहायक अभियन्ता की सेवा पंजिका की जांच करने पर पाया गया कि उक्त अधिकारी की मृत्यु की तिथि 6.2.12 को उनके अर्जित अवकाश के खाते में 118 दिन का अर्जित अवकाश शेष था जबकि उनके आश्रितों को अर्जित अवकाश के एवज में 118 दिन के स्थान पर 133 दिनों का भुगतान किया गया है, फलस्वरूप उनके आश्रितों का 15 दिनों के अर्जित अवकाश के एवज में निम्नविवरणानुसार ₹15750/– का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

133 दिनांक अर्जित अवकाश भुनाने की एवज में दिया गया भुगतान 31500/30X33	139650
118 दिनांक अर्जित अवकाश भुनाने की एवज में दिया गया भुगतान 31500/30X118	123900
अर्जित अवकाश भुनाने की एवज में किया गया अधिक एवं गलत भुगतान	₹15750

अतः अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित अधिकारी के आश्रितों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

25 मन्दिर न्यास के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुफत आवास सुविधा प्रदान करने के उपलक्ष में उनसे मकान किराया भत्ता व लाईसैन्स फीस की वसूली न करने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान की गई।

क्र0सं0	पदनाम	मुक्त आवास सुविधा की श्रेणी
1	मन्दिर अधिकारी (तहसीलदार राजस्व विभाग)	टाईप–III
2	सहायक मन्दिर अधिकारी (वरिष्ठ सहायक भाषा एवं संस्कृति विभाग	टाईप–II
3	प्रीतम चन्द सेवादार (भाषा एवं संस्कृति विभाग	टाईप–II

जिलाधीश कांगड़ा एवं आयुक्त मन्दिर न्यास एवं के कार्यालय पत्र संख्या ए0डी0एम0/कांगड़ा 1222–1234 दिनांक 15.10.10 के अनुसार जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान की गई है, उनको वेतन के साथ मकान किराया भत्ता देय नहीं है तथा उनसे प्रतिमाह सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्रतिमाह लाईसैन्स फीस वसूली जानी अनिवार्य है लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा उक्त अधिकारियों/कर्मचरियों को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है तथा उनमें सरकार द्वारा निर्धारित दरो ंपर लाईसैन्स फीस भी नहीं वसूली जा रही है, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक भुगतान किए गए मकान किराए भत्तें की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में मकान किराये भताा पर रोक लगाकर उक्त अधिकारियों/कर्मचरियों. जिन्हें वर्ष 2011 व वर्ष 2012 के दौरान मुफ्त आवास सुविधा प्रदान की गई है, से मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के उपलक्ष में उक्त सुविधा प्रदान करने की तिथि से सरकार द्वारा निर्धारित दरों से लाईसैन्स फीस की वसूली

की जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में नियमित रूप से लाईसैन्स फीस की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

26 मन्दिर अधिकारी के साथ समबद्ध गाड़ी का ₹300/– प्रति माह की दर से न्यूनतम स्थाई प्रभार न वसूलने बारेः–

आयुक्त मन्दिर न्यास एवं जिलाधीश कांगड़ा के पत्र संख्या ए0डी0एम0/कांगड़ा 1307–1317 दिनांक 2.11.2010 के अनुसार मन्दिर अधिकारियों के साथ सम्बद्ध गाड़ियों के लिए ₹300/– प्रतिमाह की दर से न्यूनतम स्थाई प्रभार वसूलना अनिवार्य है लेकिन मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा उक्त आदेशों की अनुपालना में मन्दिर अधिकारी के साथ सम्बद्ध गाड़ी का ₹300/– प्रतिमाह की दर से न्यूनतम स्थाई प्रभार नहीं वसूला गया। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि के अन्तर्गत दिनांक 1.10.11 से 31.12.12 तक 15 माह के लिए ₹300/– की दर से ₹4500/– की वसूली की जाए तत्पश्चात प्रतिमाह ₹300/–की दर से से सम्बद्ध गाड़ी के लिए न्यूनतम स्थाई प्रभार की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाएं व कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज मुक्त अग्रिम राशि स्वीकृत करने बारे तथा अधिकारियों/कर्मचारियो द्वारा अग्रिम में से बची शेष राशि को देरी से जमा करवाने बारेः–

(क) मन्दिर न्यास कर्मचारी सेवा नियम 2000 के पार्ट vi के अनुसार मन्दिर न्यास कर्मचारियों को ब्याज मुक्त अग्रिम राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है। उक्त नियम में स्पष्ट उल्लेख है कि तीन माह के मूल वेतन के बराबर ब्याज मुक्त अग्रिम राशि मन्दिर अधिकारी द्वारा व 5 माह के मूल वेतन के बराबर ब्याज मुक्त अग्रिम राशि सहायक आयुक्त मन्दिर द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। अग्रिम रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मन्दिर कर्मचारियों को ब्याज मुक्त अग्रिम राशि निर्धारित सीमा से अधिक प्रदान की गई है जोकि मन्दिर न्यास कर्मचारी सेवा नियम 2000 के नियमों के विपरीत है।

क्र0 सं0	दिनांक	कर्मचारी का नाम	मूल वेतन	मूल वेतन का पांच	स्वीकृत अग्रिम	अधिकतम स्वीकृत

				गुणा अधिकतम राशि	राशि	अग्रिम राशि
1	20.6.11	श्री तिलक राज	9150	45750	50000	4250
2	3.6.11	श्री प्रदीप कुमार	9150	45750	50000	4250
3	2.2.12	श्री जनक राम	6200	31000	40000	9000
4	28.2.12	श्री मोहिन्द्र सिंह	6200	31000	40000	9000
5	28.2.12	श्री सुरेश कुमार	6200	31000	40000	9000
6	28.2.12	श्री सुरेन्द्र कुमार	8180	40900	53000	12100
7	28.2.12	श्री मोहिन्द्र सिंह	8180	40900	53000	12100
8	11.4.12	श्री लेख राज	6200	31000	40000	9000
9	18.12.12	श्री दशरथ	6200	31000	50000	19000
10	18.12.12	श्रीमती शकुन्ता देवी	6200	31000	49000	18000
11	31.3.12	श्रीमती वृन्दला देवी	6200	31000	53300	22300
12	28.3.12	श्री प्रीतम चन्द	6390	31950	5300	21050
13	18.6.12	श्री अनूप कुमार	13500	67500	94500	27000
					योग	**₹176050**

अतः नियमों के विपरीत अनैतिक एवं अनियमित रूप से अधिक प्रदान की गई अग्रिम राशि की एक मुश्त ब्याज व दण्ड ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अविलम्ब इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त जांच के दौरान पाया गया कि मन्दिर अधिकारी व लंगर प्रभारी को वर्ष 2011 व वर्ष 2012 के दौरान विभिन्न उद्देश्यों हेतु आवश्यकता से अधिक राशियां अग्रिम रूप से प्रदान की गई है तथा उनके द्वारा शेष बची राशियों को कार्य समाप्ति के तुरन्त बाद मन्दिर कोष में जमा न करवाकर कई–2 सप्ताह पश्चात जमा करवाया गया है। अतः निम्न प्रकरणों में अनावश्यक रूप से न्यास की राशि हस्तगत रखने की स्थिति में संलिप्त राशि पर दण्ड ब्याज की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही अग्रिम राशियॉ जारी करनी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	वाऊचर संख्या/ दिनांक	अग्रिम राशि	व्यय राशि	शेष राशि	शेष राशि जमा करवाने की तिथि	जितने दिन देरी सें जमा करवाई गई
1	105/18.3.11	45000	35662	9338	9.5.11	51 दिन
2	284/16.7.11	50000	46337	3663	21.9.11	66 दिन
3	285/16.7.11	25000	13913	11087	24.9.11	69 दिन
4	286/16.7.11	50000	32010	17990	24.9.11	69 दिन
5	376/16.9.11	25000	24602	398	7.11.11	51 दिन
6	377/16.9.11	25000	24230	770	7.11.11	
7	379, 388/16.9.11, 17.9.11	50000	9922	40078	7.11.11	51 दिन
8	92/13.3.12	25000	11126	13874	22.5.12	69 दिन
9	388/1.10.12	25000	9800	15200	22.11.12	51 दिन
10	389/1.10.12	25000	18777	6223	22.11.12	51 दिन

28 कॉमन पूल को अनियमित रूप से हस्तांतरित की गई ₹5 लाख के बारे में:–

मन्दिर न्यास के वाऊचर संख्या 110 दिनांक 22.3.11 के अन्तर्गत जिला कांगड़ा मन्दिर कॉमन पूल में ₹5 लाख बिना प्रावधानों के हस्तांतरित की गई है। उक्त राशि आयुक्त मन्दिर के पत्र संख्या सी0टी0–के0जी0 आर0सी0 (1)–18/2011 बजट दिनांक 23.2.2011 के आदेशानुसार प्रति वर्ष हस्तांतरित की जाती है। मन्दिर न्यास के कोष में कॉमन पूल हेतु राशि हस्तांतरित करने का मन्दिर न्यास अधिनियम व हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक हिन्दु विन्यास अधिनियमिन में कोई प्रावधान नहीं है व न ही कॉमन पूल बनाने का कोई प्रावधान ही है परन्तु फिर भी मन्दिर न्यास द्वारा प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जा रही लाखों रूपये की राशि कॉमन पूल में हस्तांतरित की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह राशि किन नियमों के

अन्तर्गत किन–2 उद्देश्यों पर व्यय किया जाता है, का भी ब्यौरा मन्दिर न्यास के पास उपलब्ध नहीं है जिससे प्रतीत होता है कि मन्दिर न्यास कोष से हस्तांतरित की गई राशि का स्वेच्छानुसार ही व्यय किया गया जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता को उजागर करते हैं व हस्तांतरित राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा पहले भी आपत्तियां उठाई गई है लेकिन मन्दिर न्यास प्राधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान न देकर उक्त अनियमितता की पुनरावृति की जा रही है। अतः यह मामला पुनः मुख्य आयुक्त मन्दिर हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यानार्थ तुरन्त यथोचित कार्रवाई करने के प्रयोजन से लाया जाता है।

29 निर्माण कार्यः– मन्दिर रोड ज्वालामुखी के कनॉपी शेड के निर्माण में किए गए गलत एवं अधिक भुगतान तथा अन्य अनियमितताए बारेः–

कार्य का नामः– मन्दिर रोड ज्वालामखी में कनॉपी शैड का निर्माण

संविदाकार का नामः– श्री रमेश चन्द चोपड़ा

अनुमानित लागतः– **₹**11828556

आंबटित राशिः– **₹**8496192

आंबटन पत्र संख्याः– ज्वालामुखी मन्दिर 1/2010 निर्माण पृष्ठाकन संख्या–983 से 987 दिनांक 21.8.10

समय अवधिः– 6 माह

उपरोक्त कार्य के तृतीय चलित बिल जोकि माप पुस्तिका नम्बर 41 के पेज 36 से 38 पर दर्ज किया गया है, की जांच करने पर निम्नलिखित अधिक भुगतान के मामले तथा कार्य से सम्बन्धित अन्य अनियमितताएं पाई गईः–

(क) श्री रमेश चन्द चोपड़ा संविदाकार को ₹15138/– के अधिक एवं गलत भुगतान करनाः–

उक्त कार्य के तृतीय चलित विपत्र में मद संख्या 3 (सी) "प्रोवाईडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ चैनलस 100X500मि0मी0 बीम ऑन कॉलन टू कॉलन ट्रेसिस ऑन बोथ साईडस" में

गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार के निम्न विवरणानुसार ₹15138/– अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

मद सं0	मद का विवरण	वास्तविक भार (कि0ग्रा0)	दर्शाया गया भार (कि0ग्रा0)	अधिक भार (कि0ग्रा0)	आंशिक दर	अधिक एवं गलत भुगतान
3 (सी)	प्रोवाईडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ चैनल्स 100X500 मि0मी0 बीम ऑन कॉलन टू कॉलन ट्रेसिस ऑन बोथ साईडस	6315.00	6590.24	275.24	55	15138

उपरोक्त अधिक एवं गलत रूप से किए गए ₹15138/– के भुगतान के प्रकरण को अंकेक्षण के दौरान ही मन्दिर न्यास के ध्यानार्थ लाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होने ₹15138/– की वसूली सम्बन्धित संविदाकार के छठे चलित बिल से वाऊचर संख्या 281 दिनांक 29.6.13 के अन्तर्गत माप पुस्तिका नम्बर–44 पेंज संख्या 45 पर कर ली है व वसूली की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता को रोकने हेतु कार्यालय स्त्तर पर प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

(ख) संविदाकार को अनैतिक, अप्रत्याशित एवं अपरोक्ष लाभ देने के प्रयोजन से अग्रिम ₹2000000/– का अनियमित रूप से दिया जाना व माप पुस्तिका में प्रविष्टि न करना तथा अनियमित रूप से दी गई अग्रिम राशि की आगामी चलित बिलों से 2 वर्षों तक वसूली न करने के कारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹484761/– की वसूली करने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा वाऊचर संख्या 291 दिनांक 9.7.11 के अन्तर्गत उक्त संविदाकार को अनैतिक एवं अप्रत्याशित लाभ देने के प्रयोजन से अग्रिम ₹2000000 (बीस लाख) प्रदान

की गई। उक्त अग्रिम राशि प्रदान करने की माप पुस्तिका में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं है व न ही कार्य नियमों एव अनुबन्ध/इकरारनामें में अग्रिम राशि प्रदान करने का कोई प्रावधान है। नियमो के अनुसार केवल सुरक्षित अग्रिम देने का ही प्रावधान है व उक्त प्रावधान के अनुसार सम्बन्धित संविदाकार को दिनांक 28.10.10 को पहले ही ₹988000/–सुरक्षित अग्रिम दिया जा चुका था। अतः नियमों के विपरीत 20 लाख अग्रिम राशि देकर मन्दिर प्रशासन द्वारा सम्बन्धित संविदाकार को अपरोक्ष, अनैतिक एवं अप्रत्याशित लाभ दिया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए कि किन नियमों के अन्तर्गत उक्त अग्रिम राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त दी गई अग्रिम राशि की माप पुस्तिका में प्रविष्टि न होना स्वतः ही गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिस के कारण स्पष्ट किए जाएं। यहॉ पर यह भी वर्णित किया जाता है कि नियमों के विपरीत प्रदान की गई अग्रिम 20 लाख रूपये की राशि को लगभग 2 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी दिनांक 30.6.13 तक सम्बन्धित संविदाकार से वसूली न ही की गई है जबकि दिनांक 22.11.11 को उक्त संविदाकार को चलित बिल के रूप में ₹1364859/– का भुगतान किया गया था। अतः अग्रिम राशि चलित बिलों से न वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित संविदाकार को अनैतिक तरीके से अग्रिम राशि प्रदान करने की तिथि से अग्रिम राशि की वसूली की तिथि तक चक्रवृद्धि ब्याज की कम से कम 11% की दर से वसूली की जाए। इस प्रकरण में अपेक्षित वसूली की ₹484761/– बनती है जिसकी न्यास स्त्तर पर भी गणना की जाए। इसके अतिरिक्त यह ाी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वसूली सम्बन्धित संविदाकार के अन्तिम भुगतान से पूर्व की जाए ताकि मन्दिर को ब्याज स्वरूप हुई हानि की वसूली की भरपाई सम्भव हो सके।

(ग) संविदाकार से क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली न करनाः–

उपरोक्त कार्य निष्पादन करने की समय सीमा 6 माह थी व नियमानुसार सम्बन्धित संविदाकार द्वारा उक्त कार्य दिनांक 21.2.11 तक पूर्ण करना अनिवार्य था जो कि अंकेक्षण की समाप्ति अर्थात 17.8.13 तक भी पूर्ण नहीं हुआ है। अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि समय अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी समय में बढ़ौतरी हेतु न तो कभी संविदाकार द्वारा आवेदन किया गया है व न ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय में बढ़ौतरी कभी प्रदान की गई है, फलस्वरूप अनुबन्ध की निम्न वर्णित धारा "Contractor shall pay a compensation an amount equal to one persent or such smaller amount as Commissioner Temple may decide on the amount of the estimated cost of the whole work as shown in the tender for every day furnished." के अनूसार सम्बन्धित संविदाकार के विरूद्ध दिनांक 21.2.11 के बाद कार्रवाई की जानी आपेक्षित थी जोकि मन्दिर न्यास द्वारा नहीं की गई। अतः 2 वर्ष से भी

अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी सम्बन्धित संविदाकार के विरूद्ध अनुबन्ध की उपरोक्त धारा के अनुसार कार्रवाई न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब अनुबन्ध की उक्त धारा के अनुसार क्षतिपूर्ति की गणना करने उपरान्त क्षतिपूर्ति की राशि सम्बन्धित संविदाकार के बिलों से काटी जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

30 मैसर्ज विश्वकर्मा ग्रामोद्योग धर्मशाला को ₹16886/– का अधिक एवं गलत भुगतान करनाः–

कार्य का नामः– प्रोवाईडिंग/फिक्सिंग एल्यूमीनियम पैन्लिंग ऑफ (10 एस0डब्लयू0जी0)एण्ड वर्किंग टेबल इन दा ऑफिस ऑफ ई0ए0 ब्रांच इन मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी

अनुमानित लागतः– ₹537963

ठेकेदार का नामः–मैसर्ज विश्वकर्मा ग्रामोद्योग धर्मशाला

बिल :– द्वितीय एवं अन्तिम बिल

माप पुस्तिका संख्याः– 42 पेज 79 से 86

उक्त बिल की जांच करने पर पाया गया कि अतिरिक्त मद प्रोवाईडिंग/फिक्सिंग एल्यूमीनियम anodized power coated pattern of 10 S.W.G for Panneling 60x40mm panel holes की दर की गणना गलत तरीके से करने के कारण उक्त अतिरिक्त मद के अन्तर्गत सम्बन्धित ठेकेदार को निम्नविवरणानुसार ₹16886/– का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है जिसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

मद का नाम	मात्रा	जिस दर पर भुगतान किया गया	देय दर	अन्तर	अधिक एवं गलत भुगतान

					की राशि
Panneling for 60x40mm Panel Holes	637.20 Sqft	190	163.50	26.50	16886

31 **टैण्डर में भरे गए रेट में कटिंग/टैपरिंग करके प्रथम न्यूनतम दर भरने वाली फर्म के स्थान पर द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाली फर्म को कार्य आंबटित करना तथा तदानुसार मैसर्ज विश्वकर्मा ग्रामोद्योग धर्मशाला को ₹133755/– का अधिक भुगतान करनाः–**

कार्य का नामः– प्रोवाईडिंग/फिक्सिंग एल्यमीनियम पपैन्लिंग ऑफ (10 एएस0डब्लयू0जी0) एण्ड वर्किंग टेबल इनदा ऑफिस ऑफ ई0ए0 ब्रंच इन मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी)

अनुमानित लागतः–₹537963/–

संविदाकार का नामः– मैसर्ज विश्वकर्मा ग्रामोद्योग धर्मशाला

उक्त कार्य हेतु निम्नलिखित संविदाकारों द्वारा टैण्डर भरे गए है।

Name of Item	**M/S Vishavkarma Grameudyog Dharamshala Rate/ Amount**	**M/S Jai Ma Traders Nadun Road Amb Rate/ Amount**	**Sh. Joginders Singh V.P.O. Gummer Rate/ Amount**
P/F Aliminum anodized Powder coated pattern of 10 SWG for paneling 100x80mm Panel holes with 25x8 thick Aluminum for doors window & ventlator 1005.50 squre foot	550 (553025)	800 (804400)	585 588217.50

P/F prelaminated both side 20mm thick working table including plain roud glass of /mm 44.25 Rft	3400 (150450)	4000 (177000)	790 34957.50 (in words & figure ₹790 after cutting ₹4000
Total	**703475**	**981400**	**623175**

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि श्री जोगिन्द्र सिंह संविदाकार की दरें न्यूनतम थी लेकिन द्वितीय मद हेतु उक्त संविदाकार द्वारा भरी गई मद 790 प्रति फुट में टैम्परिंग व कटिंग करके ₹4000/– बनाई गई है। इस प्रकार द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाले संविदाकार को प्रथम न्यूनतम दर भरने वाला संविदाकार दर्शाकर उक्त कार्य समझौता वार्ता उपरान्त प्रथम मद हेतु ₹545/– वग्र फुट की दर से द्वितीय मद हेतु ₹3200/– प्रति रनिंग फुट की दर से कुल ₹689597.50 में से एक प्रतिशत छूट देने उपरान्त ₹682702/– में मैसर्ज विश्वकर्मा ग्रामोद्योग को आंबटित कर दिया गया जोकि कार्य नियमों की गम्भीर वित्तीय अवहेलना है। इस सन्दर्भ में यह विशेष रूप में वर्णित किया जाता है कि अगर प्रथम न्यूनतम दर भरने वाले संविदाकार द्वारा उक्त द्वितीय मद हेतु ₹4000/– दर भी होती, तब अंकों व शब्दों में भी ₹4000/– ही लिख होता परन्तु इस टैण्डर में क्योंकि दर ₹790 भरी गई थी इसलिए ही अंकों व शब्दों में भी ₹790/– ही लिखा गया है परन्तु बाद में उक्त ठेकेदार की डी0एन0आई0टी0 में इस दर को ₹790 की जगह ₹4000/– टैम्परिंग करके बनाया गया प्रतीत होता है। यहॉ यह भी उल्लेखित करना अनिवार्य होगा कि अगर सम्बन्धित ठेकेदार श्री जोगिन्द्र सिंह द्वारा द्वितीय मद की दर में कटिंग व ओवरराईटिंग करके ₹790 को ₹4000 किया होता, तब उस अवस्था में भी टैण्डर ओपनिंग कमेटी द्वारा उक्त संविदाकार के टैण्डर में जहां पर यह कटिंग व ओवरराईटिंग की गई है वहां पर नम्बर ऑफ कटिंग व नम्बर ऑफ ओवरराईटिंग का प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य था लेकिन ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र टैण्डर खोलने वाली कमेटी द्वारा उक्त संविदाकार के टैण्डर/मात्रा दर सूची में नहीं दिया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त दर ठेकेदार द्वारा न बढ़ाकर बाद में टैम्परिंग करके बढ़ाई गई है जिसकी न्यास स्तर भी विस्तृत जांच की जाए। उक्त के दृष्टिगत यह कार्य द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाले संविदाकार को प्रथम न्यूनतम दर भरने वाला संविदाकार बनाकर कार्य आंबटित किया गया है जिसके फलस्वरूप यहां एक ओर तो यह कार्य अनियमित रूप से आंबटित किया गया है वही दूसरी ओर द्वितीय मद के अन्तर्गत

सम्बन्धित कार्य में 55.50 रनिंग फुट के लिए ₹2410/– (3200–₹790) प्रति रनिंग फुट की दर से ₹133755/– का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व अधिक भुगतान की वसूलने हेतु यथोचित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

32 विभिन्न पत्रिकाओं में विज्ञापन देने हेतु ₹661620/– का व्यय करने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न स्मारिकों/पत्रिकाओं में न्यास की गतिविधियों के विज्ञापन के प्रकाशन हेतु वर्ष 2011 में ₹325000/– व वर्ष 2012 में ₹336620/– अर्थात कुल ₹661620/– व्यय किए गए है जोकि अनावश्यक व्यय को परिलक्षित करता है। हिमाचल प्रदेश हिन्दु अधिनियमों के अन्तर्गत मन्दिर न्यास निधि में इस प्रकार के वयय करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः नियमों के विपरीत स्मारिकों में विज्ञापन देने हेतु मन्दिर न्यास कोष से ₹661620/– अपव्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में अपव्यय को तुरन्त प्रभाव से रोका जाना सुनिश्चित किया जाए।

33 मन्दिर न्यास द्वारा मिठाईयों की खरीद पर ₹59340/– का अनियमित व्यय करना तथा खरीदी गई मिठाईयों की भण्डार प्रविष्टि न करना एवं वितरण से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करनाः–

मन्दिर न्यास द्वारा वाऊचर संख्या 22 दिनांक 23.1.11 के अन्तर्गत साईं स्वीट, हमीरपुर को बिल संख्या 001 दिनांक 3.11.10 के एवज में पूजा अर्चना शीर्ष के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार ₹59340/– का भुगतान किया गया है

क्र0सं0	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	देसी घी मुंगी बर्फी	295 कि0ग्रा0	190	5650
2	खुर्मी	35 कि0ग्रा0	70	2450
3	देसी घी बेसन लडडू	1 कि0ग्रा0	180	180
4	देसी घी मथुरा पेड़ा	1 कि0ग्रा0	200	200
5	देसी घी डोडा पेड़ा	1 कि0ग्रा0	200	200

6	देसी घी पिन्नी	1 कि0ग्रा0	260	260
			योग	**59340**

उक्त बिल की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताए ंपाई गईः—

(क) हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक हिन्दु विन्यास अधिनियम में उक्त प्रकार के व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप सम्पूर्ण व्यय मन्दिर न्यास कोष पर उचित प्रभार एवं वैध प्रभार न होकर अनियमित एवं अनाधिकृत व्यय है। अतः अनियमित एवं अनाधिकृत व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

(ख) उक्त मिठाईयां क्रय करने से पूर्व जो निविदाएं स्थल पर एकत्रित की गई दर्शाई है, वह एक ही व्यक्ति द्वारा अेकेले ही एकत्रित की गई है जोकि क्रय नियमों की अवहेलना है क्योंकि निविदाएं एकत्रित करने हेतु न्यूनतम तीन सदस्यों की कमेटी का होना नितांत अनिवार्य है। अतः एक व्यक्ति द्वारा अकेले निविदाओं को एकत्रित करने व मिठाईयों को क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से उक्त अनियमितता को नियमित करवाया जाए।

(ग) क्रय की गई मिठाईयों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टि व वितरण से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

(घ) उक्त क्रय को मन्दिर न्यास सदस्यों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त क्रय नियमों के विपरीत एवं अनियमित है जिसे सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व भविष्य में इस तरह की अपव्यतता पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 कम्पयूटर क्रय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न करना व सरकारी उपक्रम से कम्पयूटरों का क्रय न करनाः—

मन्दिर न्यास द्वारा वाऊचर संख्या 259 दिनांक 30.6.11 के अन्तर्गत मैसर्ज सुमित मुसन्द मरण्डा कांगड़ा को उनके बिल संख्या 012 दिनांक 8.6.11 के एवज में कम्पयूटर व यू0पी0एस0 क्रय करने हेतु निम्नविवरणानुसार ₹24700/– का भुगतान किया गया है।

सामान का विवरण	**मूल्य**
डयूल कोर प्रोसेसर एच.सी0एल0पी0सी0 व यू0पी0एस0 इन्टैक्स 600 बोल्ट	24700

उपरोक्त उल्लेखित क्रय करने की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका निराकरण किया जाए।

(क) उपरोक्त उल्लेखित कम्पयूटर व यू0पी0एस0 का क्रय हिमाचल प्रदेश के सरकारी उपक्रम अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक कारर्पोरेशन खलीणी से न करके प्राईवेट फर्म से क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सरकारी उपक्रम की दरों की तुलना में अधिक दरों पर क्रय करने में किसी भी अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी अपेक्षित है।

(ख) उपरोक्त उल्लेखित क्रय करने हेतु एकत्रित की गई निविदाऐं में डायरी नम्बर व दिनांक, आपूर्ति पत्र इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं थे जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

(ग) उक्त क्रय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। अतः उक्त क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

35 डिग्री कालेज ज्वालामुखी को वर्ष 2011 में ₹20 लाख व वर्ष 2012 में ₹50 लाख अर्थात कुल ₹70 लाख प्रदान करने बारेः–

जांच के दौरान पाया गया कि आयुक्त मन्दिर के आदेशानुसार डिग्री कालेज ज्वालामुखी को वर्ष 2011 में दिनांक 21.3.11 को 5 लाख, 5.7.11 को 5 लाख, 2.8.11 को 5 लाख व 3.11.11 को 5 लाख अर्थात कुल ₹20 लाख व वर्ष 2012 में दिनांक, 23.2.12 को 5

लाख, 28.3.12 को 5 लाख 17.5.12 को 5 लाख, 5.7.12 को 10 लाख 3.10.12 को 10 लाख. 6.12.12 को 10 लाख व 28.12.12 को 5 लाख अर्थात कुल ₹50 लाख जारी की गई। इस प्रकार मन्दिर न्यास द्वारा डिग्री कालेज ज्वालामुखी को वर्ष 2011 व 2012 में कुल ₹70 लाख जारी की गई है। यह राशि अनुदान/ग्रांट के रूप में दी गई है या फिर आर्थिक सहायता के रूप में दी गई है, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण मन्दिर न्यास द्वारा नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित शैक्षणिक संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किए जिन्हें प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

36 मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की गाड़ी संख्या एच0पी0 54–222 का बहुत कम प्रयोग करने से गाड़ी की प्रति किलोमीटर यात्रा पर अत्याधिक व्यय करने बारे में मन्दिर न्यास पर लगभग ₹296597/– की हानि के बारे में:–

जॉच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2011 तथा वर्ष 2012 के दौरान मन्दिर की गाड़ी नम्बर एच0पी0–54–222 क्रमशः 5865 कि0मी0 ही व 7432 कि0मी0 चली है जिस पर वर्ष 2011 व वर्ष 2012 में पैट्रोल व मुरम्मत पर क्रमशः ₹53637/– व ₹34293/– खर्च किए गए है। इसके अतिरिक्त उक्त गाड़ी को चलाने हेतु रखे गए चालक को वेतन एवं भत्तों के रूप में वर्ष 2011 व वर्ष 2012 में क्रमशः ₹154350/– व ₹187287/– अदा किए गए है। यदि उपरोक्त सभी व्ययों को जोड़ लिया जाए, तब उक्त गाड़ी को चलाने का प्रति कि0मी0 व्यय 429567/13297=₹32.30 आती है जो कि बाजार में प्रचलित प्रति कि0मी0 टैक्सी की दर से तीन गुणा सें भी ज्यादा है। यदि उक्त सम्पूर्ण यात्रा किराये पर टैक्सी लेकर की जाती तब भी मन्दिर न्यास को 13297X10=₹132970 ही व्यय करने पड़ते व शेष राशि ₹296597 (₹429567–₹132970) को बचाया जा सकता था। अतः दो वर्ष के दौरान गाड़ी का केवल 13297 कि0मी0 चलना जोकि प्रतिमाह औसत यात्रा 554कि0मी0 दर्शाता है, से स्वतः स्पष्ट होता है कि मन्दिर न्यास द्वारा गाड़ी का प्रयोग कभी–2 होता है व मन्दिर न्यास में स्थाई तौर पर कार्यरत्त चालक की सेवाएं भी पूर्ण रूप से नहीं ली जा रही है। अतः वित्तीय अपव्ययता को रोकने व मितव्ययता को मध्यनजर रखते हुए सुझाव दिया जाता है कि चालक की सेवाओं को मन्दिर न्यास के अन्य समरूप प्रकार के कार्यों पर लेने हेतु विचार किया जाए व वैकल्पिक तौर पर सरकार द्वारा निर्धारित दर टैक्सी किराये पर लेकर यात्रा की जाए ताकि अनावश्यक व्यय को रोका जा सके।

37 मन्दिर न्यास के जैनरेटर को चलाने हेतु निर्धारित खपत में 530.82 लीटर की खपत अधिक दर्शाने के परिणामस्वरूप अधिक प्रयोग किए गए डीजल के वास्तविक मूल्य ₹21481/– की वसूली करने बारेः–

जांच के दौरान पाया गया कि माह 11/11 में कम्पनी मैकेनिक द्वारा जनरेटर की खपत 15 लीटर प्रति घण्टा प्रमाणित एवं सत्यापित की गई है परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा जनरेटर चलाने हेतु माह 1/11 से 11/11 के दौरान निम्विवरणानुसार वास्तविक खपत 15 लीटर प्रति घण्टा की जगह अधिक खपत दर्शाकर 530.82 लीटर डीजल का अधिक प्रयोग किया गया दर्शाया गया है। अतः जनरेटर चलाने हेतु निर्धारित डीजल की खपत की जगह अधिक डीजल खपत दर्शाने हेतु अधिक प्रयोग किए डीजल 530.82 लीटर की ₹21481/– की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करने उपरान्त यह राशि मन्दिर कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**माह**	**जितने समय जैनरेटर चला (लीटर)**	**खपत किया गया डीजल (लीटर)**	**खपत योग्य डीजल @ 15 लीटर प्रति घण्टा (लीटर)**	**अधिक खपत (लीटर)**	**राशि 40.47 प्रति ली0**
1	1/11	5½ घंटे	110	82.500	27.500	1113
2	2/11	12 घंटे	240	180	60	2428
3	3/11	20 घंटे	401	300	101	4087
4	4/11	14 घंटे 5 मिन्ट	270.500	210.250	60.250	2438
5	5/11	14 घंटे 36 मिन्ट	277.500	219	58.500	2367
6	6/11	7 घंटे 3 मिन्ट	128.620	98.750	29.870	1209
7	7/11	5 घंटे 40 मिन्ट	110.600	85	25.600	1036
8	8/11	7 घंटे 35 मिन्ट	146.150	113.750	32.400	1311

9	9/11	16 घंटे 53 मिन्ट	311.900	253.250	58.650	2374
10	10/11	5 घंटे 5 मिन्ट	101.650	76.250	25.400	1028
11	11/11	12 घंटे 10 मिन्ट	234.150	182.500	51.650	2090
			2332.070	**1801.250**	**530.820**	**21481**

38 कपड़ा स्टॉक रजिस्टर 18 में मदों के वास्तविक शेष की मात्रा से कम मात्रा दर्शाना:–

मन्दिर न्यास के कपड़ा स्टॉक रजिस्टर 18 की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मदों के वास्तविक शेष की मात्रा से कम मात्रा दर्शाई गई जिसे ठीक किया जाए अथवा वास्तविक शेष से कम शेष दर्शाए गए सामान के मूल्य का निर्धारण करने उपरान्त उसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	स्टॉक रजिस्टर पेज नं0	दिनांक	सामान का विवरण	वास्तविक शेष की मात्रा	स्टॉक रजिस्टर में दर्शाई गई मात्रा	अन्तर
1	21	26.4.11	जालीदार चुनियां नम्बर–2	99	90	9
2	86	29.4.12	सूखे नारियल	1970	1870	100
3	90	3.4.12	साडी नम्बर–1	922	917	5

39 सम्पत्तियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे:–

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर न्यास की सम्पत्तियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश

सरकार के पत्र संख्या फिन (एल0ए0) 1–52/69–खण्ड–3–3885–3958 दिनांक 31.7.2008 के अनुसार तथा दिनांक 2.8.08 को लिए गए निर्णय के अनुसार मन्दिरों की सम्पित्तयों की वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन आयुक्त मन्दिर द्वारा करवाया जाना अनिवार्य है। अतः मन्दिर न्यास की सम्पत्तियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रत्येक वर्ष मन्दिर की सम्पत्तियो का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

40 अन्य विविध अनियमितताऐंः–

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित विविध प्रकार की अनियमिताऐं भी पाई गई जिनका निपटारा करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(क) श्री अश्विनी कुमार, सहायक रसोईयें के निलम्बन आदेशों की प्रविष्टि सेवा पंजिका में दर्ज न करनाः–

श्री अश्विनी कुमार, सहायक रसोईये की व्यक्तिगत नस्ति की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी द्वारा दण्डनीय अपराध करने के जुर्म में पुलिस द्वारा उनको दिनांक 24.3.12 को हिरासत में लिया गया तथा न्यास द्वारा उन्हें दिनांक 24.3.12 से निलंबित किया गया है। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को यह भी बताया गया कि उक्त कर्मचारी दिनांक 24.3.12 से लगातार पुलिस हिरासत में है लेकिन उक्त कर्मचारी के निलम्बन आदेशों की प्रविष्टि सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पंजिका में दर्ज नहीं की गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांन्छित निलम्बन आदेशों की प्रविष्टि सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पंजिका में दर्ज की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) श्री प्रहलाद कुमार, सेवादार की सेवा पंजिका /अर्जित अवकाश के खाते में उनके द्वारा व्यतीत किए गए 7 दिन के अर्जित अवकाश को डेबिट न करनाः–

श्री प्रहलाद कुमार, सेवादार की व्यक्तिगत नस्ति की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 21.8.11 से 27.8.11 तक 7 दिन का अर्जित अवकाश व्यतीत किया गया है लेकिन उक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका/अवकाश के खाते में उक्त 7 दिनों के अर्जित अवकाश को डेबिट नहीं किया गया। अतः इस प्रकरण में उनके द्वारा व्यतीत किए गए 7 दिनों के अर्जित अवकाश को डेबिट किया गया। न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं

तथा अब वांन्छित डेबिट प्रविष्टि उनके अर्जित अवकाश के खातों में की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) श्री विनोद कुमार शुक्ला, डाक्टर होम्योपैथी की सेवा पंजिका/अवकाश खाते में शेष अवकाश का अधिक दर्शाया जानाः–

श्री विनोद कुमार शुक्ला, डाक्टर होम्योपैथी की सेवा पंजिका/ अवकाश खाते की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.12.12 तक उनके खाते में अर्जित अवकाश 150 दिनों की जगह 154 दिन व चिकित्सा अवकाश 50 दिन की जगह 57 दर्शाया गया है जबकि दिनांक 31.12.12 को उनके खाते में वास्तविक रूप में अर्जित अवकाश 150 दिन व चिकित्सा अवकाश 50 दिन शेष बनता है। अतः उनकी सेवा पंजिका/ अवकाश खाते में आवश्यक संशोधन प्रविष्टियॉ करने के उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) श्री राज कुमार, सहायक पलम्बर की सेवा पंजिका में उनके द्वारा अवधि 3.8.05 से 18.8.05 के दौरान चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर व्यतीत किए गए 16 दिनों के अर्जित अवकाश की प्रविष्टि न करनाः–

श्री राज कुमार, सहायक प्रलम्बर की सेवा पंजिका एवं व्यक्तिगत नस्ति की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 3.8.05 से 18.8.05 के दौरान चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 16 दिनों का असाधारण अवकाश व्यतीत किया है लेकिन उक्त व्यतीत किए गए अवकाश की प्रविष्टि सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पंजिका में दर्ज नहीं है। अतः वांन्छित अवकाश की प्रविष्टि सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पंजिका में दर्ज की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) मन्दिर न्यास की डे–बुक में दिनांक 12.4.11 को दर्ज की गई मददन पर्ची/रसीद संख्या 6401 से 6700 के अन्तर्गत प्राप्त की गई ₹3000/– से सम्बन्धित रसीदें अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त रसीदों के अभाव में प्राप्त दर्शाई गई राशि की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः वांन्छित रसीदें आगामी अंकेक्षण मे ंसत्यापना हेतु प्रस्तुत की जाए ताकि प्राप्त दर्शाई गई राशि की सत्यापना सम्भव हो सके।

(च) मन्दिर न्यास की डे–बुक में माह 4/11 के दौरान दिनांक 6.4.11 को दर्ज की गई कुदना पर्ची रसीद संख्या 4359 से 4374 के अन्तर्गत प्राप्त की गई ₹458/– व दिनांक 11.

4.11 को रसीद संख्या 4375 से 4400 के अन्तर्गत प्राप्त की गई ₹647/– से सम्बन्धित रसीदें अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त रसीदों के अभाव में प्राप्त दर्शाई गई राशि की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः वांन्छित रसीदें आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जाए ताकि प्राप्त दर्शाई गई राशि की सत्यापना सम्भव हो सके।

(छ) अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रदान की गई अग्रिम राशियों का लेखा जोखा रखने हेतु अग्रिम रजिस्टर तैयार नहीं किया है। अग्रिम रजिस्टर के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कब–कब, किस–2 कर्मचारी/अधिकारी को अग्रिम के रूप में कितनी–2 राशि प्रदान की गई है व प्रदान की गई राशियों का समायोजन कब–2 हुआ है अथवा समायोजन हुआ भी है अथवा नहीं। इस प्रकार अग्रिम रजिस्टर न होने के कारण वर्ष 2011 वर्ष 2012 में विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रदान किए गए अग्रिमों के समायोजन की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः अग्रिम रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व मन्दिर न्यास का अग्रिम रजिस्टर तैयार किया जाए व सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

(ज) मन्दिर न्यास द्वारा यात्रा भत्ता रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जबकि यात्रा भत्ता रजिस्टर तैयार करना अनिवार्य है। अतः यात्रा भत्ता रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से यात्रा भत्ता रजिस्टर करने उपरान्त उसमें आवश्यक प्रविष्टियां की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(झ) मन्दिर न्यास द्वारा टैलीफोन रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जबकि टैलीफोन रजिस्टर तैयार करना अनिवार्य है। अतः टैलीफोन रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से टैलीफोन रजिस्टर तैयार करने के उपरान्त उसमें आवश्यक प्रविष्टियां की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

41 **लधु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

42 **निष्कर्षः–** लेखों के रखरखाव में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु समयबद्ध सीमा के भीतर वांन्छित कार्रवाई की जानी जानी

नितांत अनिवार्य है, ताकि अंकेक्षण का प्रयोजन सार्थक हो सके व गम्भीर अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जाना सम्भव हो सके।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)(एच)(2)सी (15)(11)(14) 188/96खण्ड–7–723–727 दिनांक 31.01.2014, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजें।

2 उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला एवं आयुक्त (मन्दिर) जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
3 निदेशक, (भाषा कला एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 शिमला–9
4 अवर सचिव (भाषा) हि0प्र0 सरकार, शिमला–2
5 श्री राज कुमार अ0अ0 द्वारा...............

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "A" **पैरा 1 (iii) के सन्दर्भ में**

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 7.3.1987 से 31.12.95

1	पैरा–3 (क)	अनिर्णीत	(₹2608.82 रोकड़ वही के योग में कम दर्शाना व रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने बारे)
2	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत	(₹8877011/–का बारीदारों को भोग की राशि से अनाधिकृत भुगतान)
3	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत	(बारीदारों को ₹37180/–का अधिक भुगतान)
4	पैरा–5 (क) (3)	अनिर्णीत	(धरातल में मिटटी की खुदाई बारे एवं ₹6480/–अधिक भुगतान बारे)
5	पैरा–5 (क) (4) (1)	अनिर्णीत	(अतिरिक्त एवं प्रतिस्थापित मदो की स्वीकृति प्राप्त न करने बारे)
6	पैरा–5 (क) (5)	अनिर्णीत	(अधिक बिल मद संख्या 6 स्टोन फिलिंग के रूप में ₹114658.23/–अधिक भुगतान बारे)
7	पैरा–5 (क) (6)	अनिर्णीत	(मद संख्या 7 स्टील के रूप में ₹148100/–अधिक भुगतान बारे)
8	पैरा–5 (क) (17)	अनिर्णीत	(₹19896/–की आयकर की कम कटौती बारे)
9	पैरा–5 (ख) (3)	अनिर्णीत	(₹576/–की कम कटौती बारे)
10	पैरा–5 (ग) (1)	अनिर्णीत	(अनुबन्ध की धारा 10–सी के अन्तर्गत ₹93230/–का ठेकेदार मैसर्ज विनय कुमार, राकेश कुमार को अधिक भुगतान बारे)
11	पैरा–5 (घ) (1)	अनिर्णीत	(मनोदीप सत्संग भवन के निर्माण कार्य में पाई गई

			गम्भीर अनियिमितताओं बारे)
12	पैरा–5 (घ) (2)	अनिर्णीत	(₹14491/–कम कटौती के कारण संविदाकार श्री राकेश कुमार बंटा को अधिक भुगतान)
13	पैरा–5 (घ) (5)	अनिर्णीत	(₹132.60/– का अधिक भुगतान)
14	पैरा–5 (घ) (6)	अनिर्णीत	(₹837/–की वसूली न करने बारे)
15	पैरा–5 (ड़) (2)	अनिर्णीत	(₹4699.50/– की कम कटौती से संविदाकार को अधिक भुगतान)
16	पैरा–5 (च) (1)	अनिर्णीत	(₹8890.81/–का अधिक भुगतान)
17	पैरा–5 (च) (2)	अनिर्णीत	(₹571.85/– का अधिक भुगतान)
18	पैरा–5 (ज) (1)	अनिर्णीत	(संगमरमर पत्थर की खरीद में पाई गई अनियमितताओ बारे)
19	पैरा–5 (ज) (3)	अनिर्णीत	(संगमरमर पत्थर गत वर्ष की तुलना में उच्च दरों पर क्रय करना)
20	पैरा–5 (ज) (4)	अनिर्णीत	(₹380/–टोल टैक्स के रूप में ठेकेदार को गलत भुगतान)
21	पैरा–5 (ज) (5)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर में संगमरमर पत्थर की कम मात्रा दर्शाना 9.90 वर्ग फुट)
22	पैरा–5 (ज) (6)	अनिर्णीत	(संगमरमर पत्थर की खपत अत्याधिक दर्शाना)
23	पैरा–5 (झ)	अनिर्णीत	(₹5039/–का अधिक भुगतान करने बारे)
24	पैरा–5 (ड़)	अनिर्णीत	(₹1039/–का संविदाकार श्री सतीश कुमार को अधिक भुगतान)
25	पैरा–5 (ढ़)	अनिर्णीत	(आयकर, सरचार्ज तथा बिक्रीकर की कम कटौती से संविदाकारों को ₹93377/–का अधिक भुगतान)
26	पैरा–5 (ण)	अनिर्णीत	(स्टॉक अकाउंट (निर्माण) व स्टॉक अकाउंट

			(सामान्य) तैयार न करने बारे)
27	पैरा—5 (ण) (1)	अनिर्णीत	(79 सीमेन्ट बैग का दुर्विनियोजन)
28	पैरा—5 (ण) (2)	अनिर्णीत	(डिसटैम्पर का संदिग्ध दुर्विनियोजन)
29	पैरा—5 (ण) (3)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 3 पृष्ठ 210 में 600 ईटें कम दर्शाने बारे)
30	पैरा—5 (ण) (4)	अनिर्णीत	(रसीद संख्या 1226 दिनांक 29.8.93 में एक बोरी सीमेन्ट को योगफल में न दर्शाना)
31	पैरा—5 (ण) (5)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 5 पृष्ठ 25 का वास्तविक तथ्यों के आधार पर अभिलेख तैयार न करने बारे)
32	पैरा—5 (ण) (6)	अनिर्णीत	(चारकोल अकाउंट ₹1237 / —की वसूली बारे)
33	पैरा—5 (ण) (7)	अनिर्णीत	(खपत योग्य सामान स्टॉक रजिस्टर में सामान की खपत में अनियमितता बारे)
34	पैरा—5 (ण) (8)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 3 पृष्ठ 132 में 21 लीटर पैन्ट का दुर्विनियोजन)
35	पैरा—5 (ण) (9)	अनिर्णीत	(13 सीमेन्ट की बकाया मात्रा का कम दर्शाने बारे)
36	पैरा—5 (ण) (12)	अनिर्णीत	(टी0 एण्ड पी0 रजिस्टर का तैयार न करना)
37	पैरा—5 (ण) (13)	अनिर्णीत	(नॉन कन्जयूमेवल वस्तुओं का स्टॉक से खारिज करने बारे)
38	पैरा—5 (ण) (14)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 10 पृष्ठ 2 में तालों के अकाऊंट बारे)
39	पैरा—5 (ण) (15)	अनिर्णीत	(स्थानांतरित निर्माण सामग्री की स्थानातरण प्रविष्टि न करना)
40	पैरा—5 (ण) (16)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 154—55 के अनुसार 20 एम0एम0 डाया सरियों की बकाया मात्रा 1365.23 कि0ग्रा0 दुर्विनियोजन बारे)

41	पैरा–5 (ण) (17)	अनिर्णीत	(यात्री निवास सामग्री स्टॉक लेखों बारे)
42	पैरा–5 (ण) (18)	अनिर्णीत	(₹37400/–की सीमेन्ट की वसूली बारे)
43	पैरा–5 (ण) (19)	अनिर्णीत	(स्क्रेप का लेखा जोखा न रखने बारे)
44	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत	(850 ग्राम 630 मिली ग्राम सोना तथा 18 किलो 283 ग्राम 400 मिली ग्राम चांदी को स्टॉक में लेखा न रखने बारे)
45	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत	(गल्लों में चांदी चढ़वाना तथा दरवाजों की मुरम्मत करवाने बारे)
46	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत	(चांदी के बर्तन बनवाने बारे)
47	पैरा–6 (ज)	अनिर्णीत	(33 ग्राम नगों की स्टॉक प्रविष्टि न दर्शाने बारे)
48	पैरा–6 (झ)	अनिर्णीत	(मन्दिर में प्राप्त सोने की मात्रा 43 ग्राम 400 मिली ग्राम व चांदी की मात्रा 1 किलो 143 ग्राम 500 मिली ग्राम को स्टॉक में न दर्शाने बारे)
49	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	(अवधि 7.3.87 से 12.8.89 तक प्राप्त फटे पुराने नोटो का लेखा अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे)
50	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत	(दिनांक 31.12.95 तक भदन आय प्राप्ति का अभिलेख तैयार करने बारे)
51	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत	(एकत्रित आय को देरी से जमा करवाना व एकत्रित आय की उगाही तिथि न दर्शाने बारे)
52	पैरा–9 (च)	अनिर्णीत	(प्रतिभूति राशि का जमा न किया जाना व इसका गबन करने बारे)
53	पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत	(₹6611/–का कम ब्याज लगाये जाने बारे)
54	पैरा–9 (ब)	अनिर्णीत	(वस्त्रों की निलामी बारे)
55	पैरा–9 (य)	अनिर्णीत	(₹3930/–की वसूली बारे)
59	पैरा–9 (र)	अनिर्णीत	(दुकान किराया लेखे बारे)

57	पैरा–9 (ष)	अनिर्णीत	(श्री उदय कुमार से ₹1254/–दुकान किराए कें रूप में वसूली बारे)
58	पैरा–9 (ह)	अनिर्णीत	(दुकान किराए के रूप में ₹4824/–की वसूली बारे)
59	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	(कर्मचारियों की नियुक्ति बारे)
60	पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत	(सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से आवास किराये तथा बिजली के बिलों की वसूली न करने बारे)
61	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	(₹27000/–का मन्दिर न्यास निधि से संदिग्ध गबन)
62	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	(₹1000/–का भी आर0एस0 पठानिया को अनियमित भुगतान)
63	पैरा–11 (च)	अनिर्णीत	(₹22225/–की अग्रिम राशि को व्यय बिलों, टिकटों व रसीदों के बगैर समायोजित करना)
64	पैरा–11 (छ) (2)	अनिर्णीत	(किए गए भुगतान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करने बारे)
65	पैरा–11 (ज) (1)	अनिर्णीत	(₹1024.38/–का रोकड़ वही में इन्द्राज न करके दुर्विनियोजन करने बारे)
66	पैरा–11 (ज) (2)	अनिर्णीत	(भुगतान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करके भुगतान किये जाने बारे)
67	पैरा–11 (द)	अनिर्णीत	(₹1094/–यात्रा भत्ते के भुगतान बारे)
68	पैरा–11 (घ)	अनिर्णीत	(₹600/– के स्टॉक का दुरूपयोग)
69	पैरा–11 (ल)	अनिर्णीत	(₹500/–विज्ञापन प्रकाशन हेतु भुगतान बारे)
70	पैरा–11 (श)	अनिर्णीत	(₹3459.00/–की मैसर्ज जय दुर्गे ढ़ाबा से वसूली बारे)

71	पैरा–11 (ह)	अनिर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टि का न किया जाना)
72	पैरा–11 (क्ष)	अनिर्णीत	(सक्षम अधिकारी द्वारा भुगतान आदेश पारित किए बगैर भुगतान किया जाना)
73	पैरा–11 (क्ष) (प फ)	अनिर्णीत	(₹14386/–का अधिक भुगतान)
74	पैरा–11 (क्ष) (फ फ)	अनिर्णीत	(₹6421/–का अधिक भुगतान)
75	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत	(श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाये गई अन्य वस्तुओं का स्टॉक अकाऊंट)
76	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत	(₹18267/–की सोडियम लाईटों का नगर पंचायत ज्वाला जी को गलत हस्तांतरण बारे)
77	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत	(बिजली के सामान का स्टॉक रजिस्टर में कम इन्द्राज करने बारे)
78	पैरा–12 (घ)	अनिर्णीत	(श्रद्धालुओं द्वारा दान में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर में कम इन्द्राज करना)
79	पैरा–12 (ड़)	अनिर्णीत	(श्रद्धालुओं से प्राप्त सामान को स्टॉक रजिस्टर में लेखाबद्ध करते समय सही खाता में इसकी प्रविष्टि न करना)
80	पैरा–12 (झ)	अनिर्णीत	(नारियल की बिक्री से ₹11425/–कम वसूली बारे)
81	पैरा–12 (त)	अनिर्णीत	(₹1410/–की वसूली बारे)
82	पैरा–12 (थ)	अनिर्णीत	(10 स्टील की थालियों की अनियमित अदायगी)
83	पैरा–12 (द)	अनिर्णीत	(89 गिलास स्टील, 10 थालियां स्टील, 28 कौलियां स्टील, 2 प्लेट स्टील व 3 प्रैशर कुकर का स्टॉक में कम दर्शाया जाना)
84	पैरा–12 (ध)	अनिर्णीत	(101 किलो ग्राम पीतल की घंटियों का दुर्विनियोंजन)
85	पैरा–12 (न)	अनिर्णीत	(स्टॉक को गलत रूप से कम करके दिखाना)

86	पैरा–12 (प)	अनिर्णीत	(बिना किसी औपचारिकता को पूर्ण किए पुराने वर्तनों को बदलना)
87	पैरा–12 (फ)	अनिर्णीत	(अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट को कार्यालय द्वारा आठ चारपाईयां कम वापिस करने बारे)
88	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत	(पशुधन लेखा बारे)
89	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत	(अवधि 7.3.87 से 17.11.87 तक पशुधन स्टॉक रजिस्टर का अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना)
90	पैरा–13 (ड़)	अनिर्णीत	(दो बकरों की कीमत की वसूली बारे)
91	पैरा–13 (छ)	अनिर्णीत	(दो बकरों को बेचने से प्राप्त आय को रोकड़ वही / डे बुक में इन्द्राज न करना)
92	पैरा–13 (ज)	अनिर्णीत	(दिनांक 16.4.89 को एक बड़ा बकरा पुलिस विभाग धर्मशाला को दिए जाने बारे)
93	पैरा–13 (झ)	अनिर्णीत	(दिनांक 25.5.89 को पशुधन भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 16 पर अंतशेष कम दर्शाने बारे)
94	पैरा–13 (ञ)	अनिर्णीत	(बकरों को मरा दर्शाकर स्टॉक रजिस्टर से खारिज करने बारे)
95	पैरा–14 (क)	अनिर्णीत	(बजट की स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने बारे)
96	पैरा–14 (ख)	अनिर्णीत	(बजट में प्रत्येक मद के लिए आय–व्यय का अलग–2 प्रावधान न रखा जाना)
97	पैरा–14 (ग)	अनिर्णीत	(वाहन पर व्यय बारे)
98	पैरा–14 (घ)	अनिर्णीत	(विज्ञापन पर व्यय बारे)
99	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत	(वाहन का बिना स्वीकृति के प्रयोग करने बारे)
100	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत	(सरकारी वाहन का हिमाचल प्रदेश के क्षेत्राधिकार से बाहर ले जाना)
101	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत	(मन्दिर वाहन के अनावश्यक प्रयोग बारे)

102	पैरा–15 (घ)	अनिर्णीत	(लॉग बुक के पृष्ठ 93 में की गई प्रविष्टि के अनुसार मन्दिर वाहन द्वारा 221 कि0मी0 की यात्रा की वसूली बारे)
103	पैरा–15 (ड़)	अनिर्णीत	(मन्दिर वाहन का अन्य व्यक्तियों/विभागों/संस्थाओं द्वारा प्रयोग यात्रा की वसूली न करना)
104	पैरा–15 (च)	अनिर्णीत	(सरकारी वाहन में यात्रा का उद्देश्य न दर्शाया जाना)
105	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	(दवाईयों का नवरात्रों तथा मेलों के दौरान जनरल हस्पताल ज्वालामुखी द्वारा खरीद करके बिलों का मन्दिर न्यास द्वारा भुगतान किया जाना)
106	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	(दवाईयों की बकाया मात्रा को जारी न करने बारे)
107	पैरा–16 (ग)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास निधि से विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान जारी करने बारे)
108	पैरा–16 (ड़ से ञ)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.99 से 31.12.99

1	पैरा–9	अनिर्णीत	(सैन्ट्रल पूल में मन्दिर न्यास खाते से भेजी जाने वाली राशि के लेखे वितरण बारे)
2	पैरा–10	अनिर्णीत	(मै0 गुम्मन आर्किटेक्टस फोरम प्रा0लि0 चण्डीगढ़ को ₹13138/–के अधिक भुगतान बारे)
3	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	(कर्मचारियों को मन्दिर के लंगर में खाने की सुविधा के फलस्वरूप लगभग ₹82000/–की राशि के अधिक भुगतान बारे)
4	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	(₹34650/–की वसूली बारे)
5	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत	(आयुक्त (मन्दिर) एवं जिलाधीश कांगड़ा से दूरभाष सुविधा की कार्योत्तर स्वीकृति के बिना

			मन्दिर अधिकारी के निवास पर दूरभाष की सुविधा बारे)
6	पैरा–13	अनिर्णीत	(आयुक्त मन्दिर के अनुमोदन बिना कर्मचारियों की नियुक्ति करने बारे)
7	पैरा–14	अनिर्णीत	(दुकान किराया लेखे बारे)
8	पैरा–19	अनिर्णीत	(श्री ज्वाला जी मन्दिर न्यास में स्थापित सभी मूर्तियों का विवरण तैयार करने बारे)
9	पैरा–20	अनिर्णीत	(मन्दिर वाहन एच0पी0–36–002 द्वारा प्रवेंश के बाहर की गई यात्राओं के सम्बन्ध में)
10	पैरा–22	अनिर्णीत	(संविदाकारों को किए गए भुगतानों मे ंसे आयकर अधिभार और बिक्री कर की कटौती न करने बारे)
11	पैरा–23 (क)	अनिर्णीत	(सविदाकार को 2.23 घनमीटर ईंटों बारे)

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2000 से 31.12.2000

1	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत	(प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ वही के शेष का बैंक की पास बुक के शेष के साथ मिलान किये जाने बारे)
2	पैरा–5	अनिर्णीत	(₹15003 / –का संम्भावित दुर्विनियोजन / गबन)
3	पैरा–6	अनिर्णीत	(भण्डार में दान स्वरूप प्राप्त हजारों रूपये की वस्तुओं का दुरूपयोग)
4	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	(लंगर उपभोग हेतु भण्डार से जारी की गई वस्तुओं का दुरूपयोग)
5	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत	(कांगड़ा मन्दिर न्यास कर्मचारी सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2000 को सरकार से अनुमोदित करवाने बारे)

6	पैरा—8 (3)	अनिर्णीत	(कैश अथवा सम्पत्ति इत्यादि के कार्यों पर नियुक्ति कर्मचारियों से प्रतिभूति राशि लेने बारे)
7	पैरा—8 (5)	अनिर्णीत	(श्रीमति पुष्पा मिश्रा की मालिन के पद पर नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने बारे)
8	पैरा—11	अनिर्णीत	(पंजाब नैशनल बैंक की बहुलाभकारी योजना में गलत ढ़ंग से विनिवेश करने पर लगभग ₹1100.00 की हानि बारे)
9	पैरा—19 (क)	अनिर्णीत	(श्री रमेश चन्द ठेकेदार का स्टॉफ क्वार्टर के पीछे डंगा लगाने हेतु 7 बोरी सीमेन्ट के दुरूपयोग बारे)
10	पैरा—19 (ग)	अनिर्णीत	(सरकारी भूमि पर बिना किसी अनुबन्ध के लगभग 6 लाख रूपये की लागत से कार पार्किंग का निर्माण बारे)
11	पैरा—19 (घ)	अनिर्णीत	(₹41170 ⁄ —का ठेकेदार श्री रमेश बन्टा को अनुपयोगी व्यय)
12	पैरा—19 (ड़)	अनिर्णीत	(₹16450 ⁄ —का श्री रमेश चन्द ठेकेदार को सम्भावित दुरूपयोग)
13	पैरा—20	अनिर्णीत	(बिजली के बिलों में ₹3932 ⁄ —का विद्युत विभाग को अधिक भुगतान)
14	पैरा—21	अनिर्णीत	(₹1000 ⁄ —के यात्रा व्यय भुगतान बारे)
15	पैरा—22	अनिर्णीत	(गैस के बिलों के भुगतान में ₹417 ⁄ —का आकाश गैस एजैन्सी देहरा को अधिक भुगतान बारे)
16	पैरा—23	अनिर्णीत	(विभिन्न क्रय की गई वस्तुओं का स्टॉक में न लिया जाना)
17	पैरा—24	अनिर्णीत	(दुकान किराया लेखे बारे)

18	पैरा–25 (ख)	अनिर्णीत	(5 ग्राम सोना व 100 ग्राम चांदी के दुरूपयोग बारे)
19	पैरा–26	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा के कार्यालय को मन्दिर से जारी किए गए सामान बारे)
20	पैरा–27	अनिर्णीत	(मेलो ंके दौरान सफाई व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा बुलाये गये अतिरिक्त सफाई कर्मचारी व सामान का भुगतान मन्दिर द्वारा करने बारे)
21	पैरा–29 (क)	अनिर्णीत	(10 नए सूचना पट्ट की खरीद व लिखाई हेतु भुगतान की गई ₹2562/–बारे)
22	पैरा–29 (ख)	अनिर्णीत	(मन्दिर में कैमरे लगाने हेतु ₹36575/–के भुगतान बारे)
23	पैरा–29 (ग)	अनिर्णीत	(बिना निविदा के ₹14000/–के फर्नीचर की खरीद बारे)
24	पैरा–29 (ड़)	अनिर्णीत	(₹3575/–डीजल बिल के भुगतान बारे)

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2001 से 31.12.2001

1	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत	(कैश बुक के अनुचित/त्रुटिपूर्ण रखरखाव बारे)
2	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत	(सेवा पंजिका का पूर्ण रूप से तैयार न किया जाना व कोई भी सेवा पंजिका सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करने बारे)
3	पैरा–10	अनिर्णीत	(स्थाई वेतन व दैनिक वेतन पर रखे बेलदार/सेवादारों को ₹40/–प्रतिमाह की दर से चिकित्सा प्रतिभूति भत्ते कुल राशि ₹4400/–का अनियमित भुगतान बारे)

4	पैरा—17	अनिर्णीत	(बिजली के बिलों में ₹11292/—का विद्युत विभाग को अधिक भुगतान बारे)
5	पैरा—18	अनिर्णीत	(₹985/—का श्री उपेन्द्र सिंह पेन्टर को अधिक भुगतान बारे)
6	पैरा—19	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) उप मण्डल अधिकारी (ना0) देहरा के कार्यालय में रंग रोगन हेतु मन्दिर खाते से कुल राशि ₹11958/—के व्यय बारे)
7	पैरा—20	अनिर्णीत	(अष्टभुजा मन्दिर के पास पार्किंग स्थल व बाथरूम का निर्माण करने बारे)
8	पैरा—21	अनिर्णीत	(मेलों के दौरान सफाई व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा बुलाए गए अतिरिक्त कर्मचारियों को भुगतान बारे)
9	पैरा—22	अनिर्णीत	(दूरभाष पर ₹44192/—का अत्याधिक व्यय बारे)
10	पैरा—24	अनिर्णीत	(अग्रिम धन ₹2001/—बारे)
11	पैरा—25	अनिर्णीत	(निजी टैक्सी द्वारा यात्रा करने के कारण ₹450/—के भुगतान बारे)
12	पैरा—27	अनिर्णीत	(बजट में बिना प्रावधान से किए गए विज्ञापन व्यय बारे)
13	पैरा—28	अनिर्णीत	(बजट में प्रावधान के बगैर केन्द्रीय पूल धर्मशाला को ₹4,00,000/—भेजने बारे)
14	पैरा—29	अनिर्णीत	(न्यास वाहन से यात्रा करने बारे)
15	पैरा—30	अनिर्णीत	(₹3862/—के 12 गैस सिलैण्डरों के दुरूपयोग बारे)
16	पैरा—31 (क)	अनिर्णीत	(₹1350/—के दुरूपयोग बारे)
17	पैरा—31 (ख)	अनिर्णीत	(कांगड़ा होल सेल को0 कन्जयूमर एण्ड मार्किटिंग

			फैडरेशन लि0 से कय किए गए राशन बारे)
18	पैरा–31 (ग)	अनिर्णीत	(लंगर में खाद्य सामग्री के दुरूपयोग बारे)
19	पैरा–32	अनिर्णीत	(₹19000/–श्री कपिल देव सूद (एडवोकेट) को किए गए भुगतान बारे)

(ड़) अंकेक्षण एवे निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.02 से 31.12.2002

1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत	(बैंक समाधान विवरण पंजाब नैशनल बैंक बारे)
2	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत	(बैंक समाधान विवरण सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बारे)
3	पैरा–5	अनिर्णीत	(चढ़ावे में प्राप्त विदेशी मुद्रा के रखरखाव बारे)
4	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत	(393 ग्राम अशुद्ध सोना व 394 ग्राम 720 मिली ग्राम नग मनके दर्शाने बारे)
5	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत	(सोने में 393 ग्राम अन्तर बारे)
6	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत	(2 किलो 425 ग्राम 259 मिली ग्राम सोने में खोट दर्शाने बारे)
7	पैरा–6 (घ) (1)	अनिर्णीत	(भेंट स्वरूप प्रदान किए गए चांदी के सिक्कों का वितरण मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित न करने बारे)
8	पैरा–6 (घ) (2)	अनिर्णीत	(चांदी विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जारी करके स्टॉक रजिस्टर से खारिज न करने बारे)
9	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	(आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा न्यास के कर्मचारियों के लिए बनाए गए सेवा नियम के सन्दर्भ में)
10	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत	(स्थाई वेतन पर रखे गए कर्मचारियों को किया जा रहा चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते का गलत भुगतान)

11	पैरा–7 (च) (3)	अनिर्णीत	(श्री प्रबल कुमार शास्त्री को मुख्य मन्दिर में हवन करने के एवज में ₹11/–दैनिक दक्षिणा/मानदेय के रूप में भुगतान बारे)
12	पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत	(श्रीमति पुष्पा देवी की मालिन के पद पर नियुक्ति बारे)
13	पैरा–7 (छ) (2)	अनिर्णीत	(श्रीमति पुष्पा देवी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹10080/–का अधिक भुगतान)
14	पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत	(एक वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने से पूर्व ही वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रदान किया जाना)
15	पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत	(श्री भवनीश कुमार की दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्ति बारे)
16	पैरा–7 (ट)	अनिर्णीत	(कांगड़ा शैली के चित्रकार श्री जोगिन्द्र सिंह द्वारा तैयार किए गए चित्रों का कोई अभिलेख व चित्र न्यास कार्यालय में उपलब्ध न होने बारे)
17	पैरा–7 (ठ) (2)	अनिर्णीत	(श्री कुलदीप कुमार सुपुत्र श्री चन्द (सहायक पुजारी) की नियुक्ति में दिए गए पुलिस प्रमाण पत्र बारे)
18	पैरा–9	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा अपने पुराने 5 किराएदारों को प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख 44 हजार ₹800/–का अनुचित भुगतान)
19	पैरा–10	अनिर्णीत	(जे.पी. ईण्डस्ट्री द्वारा बनाई गई माता जी की रसोई के उदघाटन के अवसर पर कुल ₹106999/–की मूर्तियों इत्यादि का उपहार के रूप में वितरण)
20	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) एवं उप मण्डल अधिकारी (ना0) देहरा द्वारा आयुक्त (मन्दिर) एवं जिलाधीश कांगड़ा की विहित शक्तियों के उपयोग

			बारे)
21	पैरा–10 (ख) (1)	अनिर्णीत	(क्र0सं0 1 से 3 तक वर्णित कुल ₹86889/–की चांदी की मूर्तियों के वितरण बारे)
22	पैरा–10 (ख) (2)	अनिर्णीत	(चांदी की मूर्तियों का वितरण आयुक्त मन्दिर की स्वीकृति के बिना करने बारे)
23	पैरा–10 (ख) (3)	अनिर्णीत	(चांदी की मूर्तियों का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए व बिना आपूर्ति आदेश दिए व अधिकारी/समिति द्वारा मूर्तियों का वजन सत्यापित न करने बारे)
24	पैरा–10 (ख) (4)	अनिर्णीत	(₹2000/–का श्री विनोद कुमार सेवादार को मूर्तियॉ लाने के लिए चण्डीगढ़ से ज्वालामुखी तक किया गया भुगतान)
25	पैरा–10 (ख) (4) (क)	अनिर्णीत	(मूर्तियों की खरीद दिल्ली से दर्शाए जाने बारे)
26	पैरा–10 (ख) (4) (ख)	अनिर्णीत	(मूर्तियों को टैक्सी द्वारा दिनांक 12.4.02 को लेकर आना जबकि विक्रय/खरीद बिल पर दिनांक 13.4.02 को दर्शाया जाने बारे)
27	पैरा–10 (ख) 4 (ग)	अनिर्णीत	(उच्च व जिम्मेवार अधिकारी द्वारा मूर्तियां न मंगवा कर सेवादार से मूर्तियां मंगवाने बारे)
28	पैरा–10 (ख) (5)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास के पास मौजूद चांदी से मूर्तियों न बनवाकर नए चांदी की खरीद बारे)
29	पैरा–10 (ख) (5) (क)	अनिर्णीत	(क्र0सं0 4, 5, 6, 7 पर वर्णित राशि ₹16180/–की मूर्तियों का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए व बिना आपूर्ति पत्र जारी किए करना व सामान की स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे)
30	पैरा–10 (ख) (5) (ख)	अनिर्णीत	(क्र0सं0 8 पर वर्णित 50 फोटो ₹30.00/–प्रति फोटो के क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित न करना व स्टॉक प्रविष्टि भी न करना व ₹1350/– के किए

			गए भुगतान की सक्षम अधिकारी से कार्योंतार स्वीकृति प्राप्त न करने बारे)
31	पैरा–10 (ख)(5)(ग)	अनिर्णीत	(क्रम संख्या 9 पर वर्णित 9 शालों के वितरण बारे)
32	पैरा–12	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा शिक्षा समिति ज्वालामुखी को ₹5,00,000/–दिए जा रहे अनुदान/आर्थिक सहायता के सन्दर्भ में)
33	पैरा–14	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के परिसर में स्थित गौरख डिब्बी मन्दिर को न्यास के अन्तर्गत लाए जाने बारे)
34	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत	(श्री डी0एन0कपूर को प्रतिभूति के तौर पर ₹2 लाख 25 हजार की बैंक गारन्टी प्रदान करने बारे)
35	पैरा–15 (घ)	अनिर्णीत	(श्री डी0एन0 कपूर द्वारा यात्री निवास के अन्य खाली भाग के नाजायज ढंग से प्रयोग करने के सन्दर्भ में)
36	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	(पुजारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम की प्रदेश सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने व पुजारियों के लिए आयोजित पुनश्चर्या कार्यक्रम के प्रसंग में किए गए व्यय को नियमित करवाने बारे)
37	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	(प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम तथा सहायक सामग्री का भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा विद्वानों को उपलब्ध न करवाकर यह सामग्री मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाने बारे)
38	पैरा–16 (ग)	अनिर्णीत	(कार्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त किए गए व्यय बारे)
39	पैरा–16 (घ)	अनिर्णीत	(शालों के वितरण बारे)
40	पैरा–16 (ड़)	अनिर्णीत	(₹1000/– की कैसेटों के क्रय बारे)
41	पैरा–16 (च)	अनिर्णीत	(बिना निविदाएं आमन्त्रित किए तथा बिना स्टॉक

			प्रविष्टि किए वीडियो कैसेटों के क्रय बारे)
42	पैरा–17 (1)	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) द्वारा आयुक्त (मन्दिर) के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी मर्जी से किराये की जगह अधिक भुगतान बारे)
43	पैरा–17 (2)	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) द्वारा आयुक्त (मन्दिर) के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी मर्जी से किराये की जगह अधिक भुगतान बारे)
44	पैरा–19 (च)	अनिर्णीत	(शहीद योगिन्द्र सिंह गैस सर्विस ज्वालामुखी को ₹2530 / –का अधिक भुगतान)
45	पैरा–20 (क)	अनिर्णीत	(विद्युत विभाग को बिजली बिलों के अधिक भुगतान बारे)
46	पैरा–20 (ख)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास में विद्युत विभाग का नियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता से करवाने व विद्युत के प्रत्येक भुगतान को सत्यापित करवाने बारे)
47	पैरा–20 (ग)	अनिर्णीत	(टैलीफोन बिल का 15 माह पश्चात भुगतान करने बारे)
48	पैरा–20 (घ)	अनिर्णीत	(टैलीफोन रजिस्टर का निर्माण न करने बारे)
49	पैरा–21	अनिर्णीत	(मेलो के दौरान सफाई व्यवस्था हेतु 60 कर्मचारियों के आने जाने के किराए राशि ₹6000 / –के सम्बन्ध में टिकटों का अंकेक्षण मे प्रस्तुत न किया जाने बारे)
49	पैरा–24	अनिर्णीत	(श्री नरेन्द्र कुमार को ₹5000 / –के भुगतान बारे)
50	पैरा–25 (क)	अनिर्णीत	(₹2,00,000 / –को केन्द्रीय पूल में डालने से सम्बन्धित रसीद की प्रति व हिमाचल प्रदेंश सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल के गठन के सम्बन्ध में जारी अधिूसचना बारे)
51	पैरा–25 (ख)	अनिर्णीत	(हिमाचल प्रदेश के मन्दिरों के रख–रखाव के लिए

			आवश्यक सुझाव देने हेतु गठित समिति के चेयरमैन श्री वशमीर सिंह राणा द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय पूल से न करके ज्वालाजी न्यास निधि से करने बारे)
52	पैरा–26 (ङ.)	अनिर्णीत	(₹2500 / –पटकों के भुगतान व पटकों की स्टॉक प्रविष्टि दर्ज न करने बारे)
53	पैरा–27	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा प्राप्त चुनियों इत्यादि को दान में वितरित कर दिया जाने बारे)

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.03 से 31.12.04

1	पैरा–5	अनिर्णीत	(वर्ष 2003 मे प्राप्त चांदी में से 2 किलो चांदी पिघलाने के कारण खपत हुई चांदी से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे)
2	पैरा–6	अनिर्णीत	(चांदी के सिक्को के सन्दर्भ में)
3	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	(आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा न्यास के कर्मचारियों के लिए बनाए गए सेवानियम के सन्दर्भ में)
4	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत	(श्री बलदेव कुमार लिपिक व श्री मनोहर लाल लिपिक के मूल वेतन बारे)
5	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत	(श्री हुक्म चन्द व मुकन्द लाल सफाई सेवकों के मूल वेतन बारे)
6	पैरा–14 (6)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास में कार्यरत्त सभी कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रथम नियुक्ति की तिथि, पद, वेतन का विवरण रखने बारे)
7	पैरा–15	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) एवं उप मण्डल अधिकारी (ना0) देहरा कार्यालय में न्यास के एक कर्मचारी की नियुक्ति बारे)

8	पैरा–16	अनिर्णीत	(जिला भाषा अधिकारी कार्यालय में न्यास के एक अन्य कर्मचारी श्रीमति आर्दश वाला (क0 सहायक) की नियुक्ति बारे)
9	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	(श्रीमति अंजु शर्मा की नियुक्ति बारे)
10	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	(श्रीमति आर्दश बाला (लिपिक) की नियुक्ति बारे)
11	पैरा–17	अनिर्णीत	(3.8.2003 के पश्चात बारीदारों को किए गए कुल ₹1,04,90,004/–के अनियमित भुगतान बारे)
12	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत	(पूजा अर्चना हेतु 20 प्रतिशत राशि को काटे जाने बारे)
13	पैरा–18	अनिर्णीत	(ज्वालामुखी मन्दिर के समीप शॉपिंग काम्पलैक्स के निर्माण कार्य के दौरान श्रीमति पुष्पा देवी के मकान को हुई क्षति के मुआवजे के भुगतान मे ₹6 लाख 17 हजार की राशि का अधिक अनियमित भुंगतान बारे)
14	पैरा–19	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा पुष्पा देवी व उसके पुत्रों को दिया जा रहा लाखों रूपये की सम्पत्ति का अनुचित लाभ)
15	पैरा–20	अनिर्णीत	(₹4496259/–की निर्माण सामग्री के बिना किसी माप के प्रयोग में लाया जाना)
16			
17	पैरा–21	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा अपने पुराने 5 किराएदारों को किया गया कुल राशि ₹5,71,200/–का अनुचित भुगतान)
18	पैरा–23 (क)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास कर्मचारियों अधिकारियों की लापरवाही के कारण विद्युत निगम को किया गया राशि ₹71,000/–का अनियमित भुगतान)

19	पैरा–25	अनिर्णीत	(वर्ष 2003 व 2004 में विभिन्न नवरात्रों के दौरान रखे गए गृह रक्षकों को राशि ₹59,999/–का अधिक भुगतान)
20	पैरा–25 (क) (1)	अनिर्णीत	(₹2545/–का गृह रक्षकों को किए गए भुगतान बारे)
21	पैरा–25 (क) (2)	अनिर्णीत	(गृह रक्षकों को किए गए यात्रा भत्ते के भुगतान बारे)
22	पैरा–25 (ख)	अनिर्णीत	(₹8894/–की गृह रक्षकों से वसूली बारे)
23	पैरा–25 (घ)	अनिर्णीत	(गृह रक्षकों को ₹18085/–के गलत भुगतान बारे)
24	पैरा–26	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा श्री डी0एन0 कपूर पट्टाधारी यात्री निवास मातृ छाया को दिए गए लाखों रूपये के अनुचित लाभ तथा ₹8,68,300/–की वसूली न किया जाना)
25	पैरा–27	अनिर्णीत	(₹32100/–का अस्थाई दुरूपयोग)
26	पैरा–28	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त मन्दिर एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा के कार्यालय में समाचार पत्रों की आपूर्ति पर ₹17238/–का भुगतान बारे)
27	पैरा–31	अनिर्णीत	(श्री जितेन्द्र नाथ व विवेक सूद कनिष्ठ अभियन्ता को किया गया क्रमशः ₹18480/–व ₹16896/–कुल ₹35376/–का अधिक भुगतान)
28	पैरा–39 (i)	अनिर्णीत	(बिना चर्चा के कार्य आबंटन बारे)
29	पैरा–39 (ii)	अनिर्णीत	(समाचार पत्र में विज्ञापन अनुसार धरोहर राशि केवल नकद जमा करवाने की एवज में धरोहर राशि)
30	पैरा–39 (iii)	अनिर्णीत	(राष्ट्रीय बचत पत्र जमा करवाने बारे निर्माण कार्य

			मानदण्डों से निम्न कोटी का किया जाने बारे)
31	पैरा–40 (3)	अनिर्णीत	(₹1784.79/–का श्री संजल शर्मा ठेकेदार को अधिक भुगतान)
32	पैरा–42	अनिर्णीत	(न्यास की चल व अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन न करवाने बारे)
33	पैरा–46	अनिर्णीत	(बिना टैण्डर व बाजारीय प्रतियोगिता का लाभ उठाए कार्य का आबंटन करने बारे)
34	पैरा–48 (3)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास वाहन द्वारा यात्रा अन्य कार्यों हेतु करने बारे)
35	पैरा–52	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा ज्वालाजी शिक्षा समिति को दी गई राशि ₹1 करोड़ 20 लाख के सम्बन्ध में)
36	पैरा–53	अनिर्णीत	(सुलभ इन्टरनेशनल को ₹5000/–प्रति माह रखरखाव के रूप में किए गए भुगतान के सन्दर्भ में)
37	पैरा–54	अनिर्णीत	(मन्दिर कर्मचारियों को बोंनस के रूप मे ंकिया गया अनियमित भुगतान कुल ₹5206.00/–बारे)
38	पैरा–56 (ख)	अनिर्णीत	(दान हेतु काटी गई रसीद में दान की राशि कार्बन कॉपी में नीले पैन से भरा जाना)
39	पैरा–58	अनिर्णीत	(अष्टभुजा सत्संग भवन व भैरों मन्दिर से वर्ष 2003 व 2004 के दौरान कोई भी आय की प्राप्ति न दर्शाना)
40	पैरा–59 (1)	अनिर्णीत	(₹13200/–श्री राज कुमार सुपुत्र श्री मिलखी राम को किए गए भुगतान बारे)
41	पैरा–59 (2)	अनिर्णीत	(₹1188/–कम्पयूटर की काली स्याही खरीदने हेतु)

42	पैरा–59 (3)	अनिर्णीत	(₹5100 / –होम गार्डों से वसूली बारे)
43	पैरा–59 (6)	अनिर्णीत	(टेलीविजन के क्रय पर खर्च की गई राशि बारे)

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.05 से 31.12.05

1	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत	(रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान बारे)
2	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत	(दिनांक 31.8.03 को चांदी पिघलाने के कारण खोट के रूप में खारिज की गई चांदी 2 किलो 46 ग्राम 850 मिली ग्राम बारे)
3	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत	(₹660 / –का अधिक भुगतान)
4	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत	(विद्युत प्रभारों के भुगतान बारे)
5	पैरा–9	अनिर्णीत	(अंकेक्षण द्वारा विभिन्न अंकेक्षण अधियाचनाओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध न करवाए जाने के सन्दर्भ में)

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.06 से 31.12.07

1	पैरा–5	अनिर्णीत	(वर्ष 2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (ख) में अन्तर का कारण बारे व दिनांक 31.8.03 को चांदी पिघलाने के कारण खोट के रूप में 2 किलो 046 ग्राम व 650 मि0ग्रा0 दर्शाई गई चांदी को स्टॉक से खारिज करने बारे)
2	पैरा–15	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 व 2007 प्रोत्साहन राशि के रूप में न्यास कर्मचारियों को अधिक एवं गलत भुगतान

			₹362050 / –बारे)
3	पैरा–16	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 व 2007 के दौरान प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹70555 / –का अनियमित एवं गलत भुगतान के बारे)
4	पैरा–17	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 में लगने वाले नवरात्र मेलों के दौरान अतिरिक्त कार्य न करने के बावजूद किया गया गलत भुगतान ₹199920 / –बारे)
5	पैरा–18 (क से त)	आंशिक निर्णीत	(दण्ड ब्याज ₹133766 की वसूली शेष)
6	पैरा–20 (1 से 3)	अनिर्णीत	(नवरात्रों के दौरान रखे गए अतिरिक्त सफाई सेवकों को ₹55080 / –का अधिक एवं गलत भुगतान)
7	पैरा–21	अनिर्णीत	(यात्री निवास मातृछाया को पट्टे पर न देने के कारण आय स्वरूप हुई हानि ₹723030 / –बारे)
8	पैरा–22	अनिर्णीत	(यात्री निवास मातृछाया के गत वर्षों के किराये के रूप में ₹558860 / –वसूलने हेतु शेष)
9	पैरा–23	अनिर्णीत	(वर्ष 2005, 2006 व 2007 में नये निर्माण कार्यों पर कोई भी व्यय न करना)
10	पैरा–24	अनिर्णीत	(शॉपिंग कम्पलैक्स के निर्माण में निर्माण सामग्री ₹20,60,294 / –के दुरूपयोग बारे)
11	पैरा–25	अनिर्णीत	(₹4515 / –संविदाकार से वसूली बारे)
12	पैरा–26	अनिर्णीत	(₹1959 / –संविदाकार से वसूली बारे)
13	पैरा–27	अनिर्णीत	(₹1903 / –संविदाकार से वसूली बारे)
14	पैरा–28	अनिर्णीत	(₹12193 / –के भुगतान की अनियमितताएं बारे)
15	पैरा–29	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 व 2007 में करवाए गए निर्माण कार्यों एवं अन्य कार्यों में मन्दिर न्यास द्वारा पानी व बिजली की

			आपूर्ति सम्बन्धित संविदाकारों को करने पर भी जल प्रभारों के रूप में चलित एवं अन्तिम संविदाकार के बिलों से न करने के कारण मन्दिर न्यास कोष को हुई हानि बारे)
16	पैरा—33	अनिर्णीत	(दीपावली के पर्व पर मिठाईयों के वितरण बारे)
17	पैरा—34	अनिर्णीत	(क्रय से पूर्व निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करने व बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाए बिना किए गए क्रय बारे)
18	पैरा—35	अनिर्णीत	(₹1870/—की वसूली बारे)
19	पैरा—36	अनिर्णीत	(बारीदारों से ₹3000/—की वसूली बारे)
20	पैरा—37	अनिर्णीत	(सोने की मात्रा 1 ग्राम 200 मिली ग्राम के दुरूपयोग बारे)
21	पैरा—38	अनिर्णीत	(मुख्य मन्दिर गल्ला गणना रजिस्टर में दिनांक 3.4.06 को सोना व चांदी प्राप्त न होना जबकि सोना चांदी स्टॉक रजिस्टर मे ंसोना 4 ग्राम 300 मिली ग्राम व चांदी 1 किलो 132 ग्राम दर्शाने बारे)
22	पैरा—39	अनिर्णीत	(शैया भवन में रखे गल्लों की गणना के लिए गणना रजिस्टर तैयार न करने बारे)
23	पैरा—41	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी व सहायक मन्दिर अधिकारी के निवास में लगे बिजली के मीटर नम्बर एम0डी0आर0 301 के बिजली बिलों के रूप में अवधि 17.1.2002 से 12.1.2009 तक राशि ₹26036/—का मन्दिर कोष से अनियमित एवं गलत भुगतान)
24	पैरा—42 (1)	अनिर्णीत	(श्रीमति आर्दश बाला को नियमों के विपरीत पदोन्नति बारे)
25	पैरा—42 (2)	अनिर्णीत	(श्रीमति अंजु शर्मा को नियमों के विपरीत पदोन्नति बारे)

26	पैरा–44 (1)	अनिर्णीत	(श्रीमति वीना देवी अध्यापक व श्री महिन्द्र सिंह की सेवापंजिकाओं के छुट्टी खाते में 2 दिन अर्जित व 1 दिन परिवर्तित अवकाश कम करने बारे)
27	पैरा–44 (2)	अनिर्णीत	(श्री मनोहर लाल माली को एक दिन का वेतन काटा जाने बारे व बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र असाधारण अवकाश की प्रविष्टि सेवापजिकाओं में करने बारे)
28	पैरा–44 (3)	अनिर्णीत	(श्री मनोहरलाल माली की 64 दिन की वेतन की वसूली व बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र असाधारण अवकाश की प्रविष्टि सेवा पंजिका में करने बारे)
29	पैरा–45	अनिर्णीत	(श्री मनोहर लाल माली ₹10000/–की वसूली बारे)
30	पैरा–46	अनिर्णीत	(श्री अवतार सिंह विद्युतकार को ₹4333/–का गलत एवं अनियमित भुगतान)
31	पैरा–47	अनिर्णीत	(मृत्यु उपदान सहायता के रूप में ₹37782/–का गलत भुगतान)
32	पैरा–48	अनिर्णीत	(मन्दिर की गाड़ी के अनावश्यक रखरखाव खर्च को सीमित करने बारे)
33	पैरा–49	अनिर्णीत	(₹4500/–की वसूली बारे)

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.08 से 31.12.08

1	पैरा–9	अनिर्णीत	(₹3789555/का वर्ष 2008 के दौरान बारीदारों को गलत एवं अधिक भुगतान)
2	पैरा–10	अनिर्णीत	(वर्ष 2008 के दौरान प्रोत्साहन राशि के रूप में न्यास कर्मचारियों को ₹64052/– का अधिक एवं गलत भुगतान)
3	पैरा–13	अनिर्णीत	(श्री अवतार सिंह संविदाकार को गलत तरीके से

			वापिस की गई प्रतिभूति की ₹8000 / –बारे)
4	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत	(श्रीमति विमला देवी सफाई कर्मचारी को अर्जित अवकाश भुनाने के एवज में ₹1063 / –का अधिक भुगतान बारे)
5	पैरा–18	अनिर्णीत	(यात्री निवास में माह 4 / 08 के दौरान आय हेतु काटी गई रसीद संख्या 9224 से 9258 तक अंकेक्षण में न दर्शाया जाना)
6			
	पैरा–22	अनिर्णीत	(सेवा पंजिकाओ में गलत पदनाम पुजारी सहायक दर्शाने बारे)
7	पैरा–24	अनिर्णीत	(मुख्य आयुक्त मन्दिर की विहित शक्तियों का आयुक्त मन्दिर द्वारा प्रयोग करने बारे)
8	पैरा–25 (1)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की सम्पत्तियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे)
9	पैरा–26	अनिर्णीत	(विभिन्न कर्मचारियों के स्वीकृत पदों से अधिक पद भरे जाने बारे)

(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.09 से 31.12.09

1	पैरा–8	अनिर्णीत	(चांदी के स्टॉक में 1167 किलो 603 ग्राम 650 मिली ग्राम चांदी कम दर्शाना)
2	पैरा–9	अनिर्णीत	(भौतिक सत्यापन के दौरान 6 किलो 112 ग्राम 660 मि0ग्राम चांदी की मात्रा का स्टॉक में अधिक पाया

			जाना)
3	पैरा–10	अनिर्णीत	(चांदी पिघलाने का शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान 154 किलों 949 ग्राम चांदी को नष्ट हुई दर्शाकर स्टॉक से खारिज करने बारे)
4	पैरा–12	अनिर्णीत	(बजट में प्रावधान के बगैर किए गए ₹559728/–के व्यय के बारे)
5	पैरा–13	अनिर्णीत	(₹2211572/–का वर्ष 2009 में स्वीकृति बजट से अधिक व्यय करने बारे)
6	पैरा–14	अनिर्णीत	(₹3895448 का वर्ष 2009 के दौरान बारीदारों को गलत एवं अधिक भुगतान)
7	पैरा–15	अनिर्णीत	(वर्ष 2009 के दौरान प्रोत्साहन राशि के रूप में न्यास कर्मचारियों को ₹5229/–का अधिक एवं गलत भुगतान)
8	पैरा–17	अनिर्णीत	(लंगर में खाद्य सामग्री एवं अन्य सामान के दुरूपयोग बारे)
9	पैरा–18	अनिर्णीत	(लंगर में दैनिक खपत रजिस्टर के अनुसार खाद्य सामग्री के दुरूपयोग बारे)
10	पैरा–19	अनिर्णीत	(लंगर में रसीदों से प्राप्त सामान के दुरूपयोग बारे)
11	पैरा–20	अनिर्णीत	(लंगर प्रभारी द्वारा 1 टन 5 क्विंटल 86 किलाग्रेाम गेहूं का आटा प्रचलित दरों से कम बेचने के कारण मन्दिर कोष में हुई ₹15860/–की वित्तीय हानि के बारे)
11	पैरा–21	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी एवं सहायक मन्दिर अधिकारी के निवास में लगे बिजली के मीटर नम्बर एम0डी0आर0 301 के बिजली बिलों के रूप में अवधि 1.3.09 से 30.11.10 तक 34774/–का मन्दिर कोष से अनियमित एवं गलत भुंगतान)

12	पैरा—22	अनिर्णीत	(लंगर में आटा मद के दुरूपयोग बारे)
13	पैरा—26	अनिर्णीत	(मुख्य मन्दिर गल्ला गणना रजिस्टर में सिक्कों की गणना से ₹990/—अधिक दर्शाने बारे)
14	पैरा—27	अनिर्णीत	(13 दुकानों का किराया अनियमित रूप से कम करने के कारण हो रही प्रति वर्ष ₹31824/—की वित्तीय हानि बारे)
15	पैरा—28	अनिर्णीत	(2 दुकाने अनियमित रूप से गृह रक्षक व सुरक्षा गार्डो को आबंटित करना व एक दुकान का खाली रखने बारे)
16	पैरा—29	अनिर्णीत	(दोष पूर्ण खुली बोली की प्रक्रिया के कारण किराए का कम निर्धारण)
17	पैरा—30	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी व लेखाकार को दिए जा रहे चौतरफा अवैध, अनियमित एवं गलत लाभ बारे)
18	पैरा—31	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास लंगर से मन्दिर अधिकारी, लेखाकार व डिग्री कॉलेज हेतु गैस सिलैण्डर सप्लाई करने बारे)
19	पैरा—32	अनिर्णीत	(श्री सुभाष चन्द सफाई सेवक की सेवा पंजिका व व्यक्तिगत नस्ति की जांच करने पर पाया गया उक्त कर्मचारी 884 दिन अवकाश पर रहा है)
20	पैरा—33	अनिर्णीत	(कॉमन पूल को अनियमित रूप से हस्तांतरित की गई ₹4 लाख के बारे)
21	पैरा—34	अनिर्णीत	(डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी को भुगतान की गई ₹5 लाख के बारे)
22	पैरा—35	अनिर्णीत	(श्री बलदेव सिंह लिपिक का पदनाम गलत तरीके से वरिष्ठ क्लर्क दर्शाने बारे)
23	पैरा—36	अनिर्णीत	(श्री विवेक सूद कनिष्ठ अभियन्ता की सेवा पंजिका

			प्रस्तुत न करने व वेतन निर्धारण बारे)
24	पैरा–37	अंशतः निर्णीत (₹518 / –की वसूली विजय कुमार ड्राफ्ट मैन से शेष)	(दैनिकी भत्ते के रूप में श्री विनोद कुमार सेवादार को ₹245 / –अधिक भुगतान व श्री विजय कुमार ड्राफ्ट मैन को ₹518 / – का अधिक एवं गलत भुगतान)
25	पैरा–38	अनिर्णीत	(सूद आरा उद्योग होशियारपुर को बेरियर टैक्स व ट्रक भाड़े के रूप में ₹16550 / –का गलत भुगतान)
26	पैरा–39	अनिर्णीत	(वालन ढुलाई व उतराई के रूप में लंगर प्रभारी को ₹11659 / –का गलत भुगतान)
27	पैरा–40 (क) (i)	अनिर्णीत	(अष्ट भुजा मन्दिर व कीर्तन / सत्संग भवन पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित न करने बारे)
28	पैरा–40 (क) (ii)	अनिर्णीत	(भैरों मन्दिर की रोकड़ वही तैयार न करने बारे)
29	पैरा–40 (क) (iii)	अनिर्णीत	(भैरों मन्दिर व टेहड़ा मन्दिर की बचत खातों में शेष बची राशि को मन्दिर न्यास के बचत खातों में हस्तांतरित न करने बारे)
30	पैरा–40 (क) (iv)	अनिर्णीत	(भैरों मन्दिर व टेहड़ा मन्दिर की आय की गणना प्राधिकृत कमेटी के समक्ष किए जाने बारे)
31	पैरा–40 (क) (v)	अनिर्णीत	(टेहड़ा मन्दिर में आय हेतु जारी गई रसीदों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे)
32	पैरा–40 (ख)	अनिर्णीत	(टेहड़ा मन्दिर की आय में से ₹15466 / –का अस्थाई गवन व रोकड़ वही का रखरखाव न करने बारे)

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2010 से 31.12.2010

1	पैरा–8	अनिर्णीत	(₹210 का दुरूपयोग)

2	पैरा–9	अनिर्णीत	(₹5215799 / – का वर्ष 2010 के दौरान बारीदारों को अनियमित एवं अधिक भुगतान)
3	पैरा–10	अनिर्णीत	(वर्ष 2008 से 2011 के दौरान अनूप कुमार, अनुबन्ध अध्यापक, संस्कृत विद्यालय ज्वालामुखी के वेतन के रूप में ₹60131 / – के गलत एवं अधिक भुगतान की वसूली बारे)
4	पैरा–11	अनिर्णीत	(श्रीमती कामना देवी, सेवादार को वेतन एवं भतों के रूप में गलत भुगतान की गई ₹32628 / – की वसूली बारे)
5	पैरा–12	अनिर्णीत	(श्री प्रबल कुमार शास्त्री, संस्कृत विद्यालय की वर्ष 2010 की वार्षिक वेतन वृद्धि न रोकने के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए ₹10637 / – के गलत एवं अधिक भुगतान की वसूली बारे)
6	पैरा–13	अनिर्णीत	(श्री हेमन्त कुमार पुजारी सहायक को माह 12 / 10 देय 1 / 11 के वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान की गई ₹3014 / – की वसूली बारे)
7	पैरा–14	अनिर्णीत	(तृतीय श्रेणी व स्थाई वेतन पर नियुक्त बेलदारों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमों के विपरीत वर्दी भत्ता प्रदान करने के कारण मन्दिर न्यास कोष को हुई ₹60300 / – की वित्तीय हानि के बारे)
8	पैरा–15	स्वतः निर्णीत	
9	पैरा–16	अनिर्णीत	(शान्ति स्वरूप सेवादार को बकाया वेतन के रूप में ₹105 / – का गलत एवं अधिक भुगतान)
10	पैरा–17	अनिर्णीत	(मनोहर लाल, वरिष्ठ सहायक को बकाया वेतन के रूप में ₹163 / – का अधिक भुगतान)
11	पैरा–18	अनिर्णीत	(जनरेटर सैट का क्रय निविदा न भरने वाली फर्म

			से उच्च दरों पर करने के कारण मन्दिर न्यास को हुई ₹249321/– की वित्तीय हानि के सन्दर्भ में)
12	पैरा–19	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा लंगर मनाने, परोसने व सफाई व्यवस्था के कार्य का ठेका प्रथम न्यूनतम दर भरने वाले संविदाकार को न देकर द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाले संविदाकार को देने के फलस्वरूप 18 माह के दौरान मन्दिर न्यास को हुई ₹376200/– की वित्तीय हानि के बारे)
13	पैरा–20	अनिर्णीत	(लंगर संचालन ठेके पर देने के कारण 2 मुख्य रसोईयों व 2 सहायक रसोईयों के सेवाएं मन्दिर न्यास हेतु अनुपयोगी होने के कारण मन्दिर न्यास कोष पर लाखों रूपयो का अनावश्यक वित्तीय बोझ)
14	पैरा–21	अनिर्णीत	(लगर संचालन ठेकेदार को 18 माह के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा ₹258246/– का परोक्ष रूप से अनियमित, अनैतिक एवं अप्रत्याशित लाभ)
15	पैरा–22	अनिर्णीत	(बिना टैण्डर बुलाए लंगर संचालन के ठेके की अवधि 12 माह बढ़ाना)
16	पैरा–23	अनिर्णीत	(कॉमन पूल को अनियमित रूप से हस्तांतरित की गई राशि 4 लाख रूपये बारे)
17	पैरा–24	अनिर्णीत	(डिग्री कॉलेज को दी गई ₹20 लाख के बारे में)
18	पैरा–25	अनिर्णीत	(नियमों के विपरीत प्रधानाचार्य ज्वालाजी शिक्षा समिति को ₹3 लाख ऋण देने व वसूली न करने बारे)
19	पैरा–26	अनिर्णीत	(बजट में प्रावधान के बगैर किए गए ₹1133633/– के व्यय के बारे)
20	पैरा–27	अनिर्णीत	(₹892353/– का वर्ष 2010 में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करने बारे)

21	पैरा—28	अनिर्णीत	(सेवापंजिकाओं में अर्जित अवकाश परिणित अवकाश व असाधारण अवकाश की प्रविष्टियॉ न करने बारे)
22	पैरा—29	अनिर्णीत	(वास्तविक शेष अर्जित अवकाश व परिणित अवकाश से अधिक शेष अर्जित अवकाश एवं परिणित अवकाश दर्शाना)
23	पैरा—30	अनिर्णीत	(सेवा पंजिका में जन्म तिथि में 2010 में बदलाव करना)
24	पैरा—31	अनिर्णीत	(श्री गगन कुमार, सफाई सेवक की सेवा पंजिका में 939 दिन की सेवा अवरोध अवधि की प्रविष्टि न करना)
25	पैरा—32	अनिर्णीत	(लंगर के सामान के दुरूपयोग बारे)
26	पैरा—33	अनिर्णीत	(लंगर में रसीदों से प्राप्त सामान के दुरूपयोग बारे)
27	पैरा—34	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास की मुक्त आवास सुविधा प्राप्त करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी से मकान किराया भत्ता व लाईसैन्स फीस की वसूली न करने बारे)
28	पैरा—35	अनिर्णीत	(माह 9/10 में पारिश्रमिक व अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में ₹3450/— का गलत भुगतान करने बारे एवं गत वर्षों में भी किए जा रहे उक्त प्रकार के गलत भुगतानों की वसूली बारे)
29	पैरा—36	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी के साथ सम्बद्ध गाड़ी की ₹300/— प्रतिमाह की दर न्यूनतम स्थाई प्रभार को न वसूलने बारे)
30	पैरा—37	अनिर्णीत	(अग्रिम राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन)
31	पैरा—38	अनिर्णीत	(अभिलेख का प्रस्तुत न किया जाना)

32	पैरा–39	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के वरिष्ठ सहायक के स्वीकृत दों पदो ंके विरूद्ध चार वरिष्ठ सहायकों की तैनाती करने के कारण दो अधिक वरिष्ठ सहायकों के वेतन के रूप में मन्दिर न्यास कोष पर लाखों रूपये का अनियमित वित्तीय बोझ)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	371
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	1
अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2010 से 31.12.2010 तक अनिर्णीत पैरे	370